अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार अब्बास नकवी): सर, माननीय मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है कि इस संबंध में सभी राजनैतिक दलों के साथ बैठक होगी और बैठक होने के बाद जो राजनैतिक दलों का सुझाव होगा, उसके बाद सरकार आगे बढ़ेगी।

श्री उपसभापति : वही बोला है। दोनों के बारे में...(व्यवधान)... Now, Shri Ramvilas Paswan. ...(Interruptions)...

GOVERNMENT BILLS

The Warehousing Corporations (Amendment) Bill, 2015

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1962 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, लोक सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए।

सर, इस संबंध में मेरा आपसे आग्रह है कि यह बहुत छोटा सा टेक्निकल संशोधन है। आज हम सीडब्ल्यूसी-1962 के एक्ट में एक छोटा सा अमेंडमेंट लाने जा रहे हैं। सीडब्ल्यूसी को 1999 में मिनी रत्न सूची-1 का दर्जा दिया गया। सेंट्रल वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन की स्थापना, जैसा कि सदन को मालूम है, 1957 में हुई थी और दि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कार्पोरेशन एक्ट, 1956 के तहत की गयी थी। 1962 में दि एग्रीकल्चरल प्रोड्युस (डेवलपमेंट एंड वेयरहाउसिंग) कार्पोरेशन एक्ट, 1956 को समाप्त कर वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन का निर्माण किया गया। आज का जो संशोधन है, वह सिर्फ इतना ही है कि सीडब्ल्यूसी, जो दि सेंट्रल वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन है, उसे मिनी रत्न का अधिकार तो मिल गया, लेकिन उस अधिकार के रूप में उसे वित्तीय अधिकार नहीं मिला और वित्तीय अधिकार के लिए उसे सेंट्रल गवर्नमेंट पर निर्भर रहना पड़ता है। जो लोक उद्यम विभाग है, उसके मुताबिक वित्तीय शक्ति प्राप्त करने के लिए एक्ट में संशोधन की आवश्यकता है। यह पहले से ही है। आदरणीय भूतपूर्व प्रधान मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। यह प्रस्ताव केबिनेट में यूपीए सरकार के समय में ले जाया गया था और केबिनेट ने 2 जून, 2011 को इसको अनुमोदित कर दिया था। उसके बाद 28.12.2011 को इसे लोक सभा में पेश किया गया था। लोक सभा ने इसे स्टेंडिंग कमेटी में भेज दिया। स्टेंडिंग कमेटी ने इसको सपोर्ट करते हुए 30.08.2012 को अपनी रिकमेंडेशन दे दी, लेकिन पन्द्रहवीं लोक सभा भंग होने के कारण यह बिल पास नहीं हो सका। हमने 3 मार्च, 2015 को इसे लोक सभा में पेश किया और लोक सभा ने 18 मार्च, 2015 को इसे पास कर दिया। बिल पास होने पर जो बजटीय सहायता है उसके लिए गारंटी के लिए इसे जो केन्द्र के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, वह खत्म हो जाएगा। इसके अलावा, यह उसी धारा से संबंधित, धारा 5(1) से संबंधित है, धारा 5(1) का संशोधन है। उसी के साथ-साथ उससे संबंधित जो धाराएं हैं चाहे 27(4) है, 30(2) है, 31(8) है और धारा 39 में संशोधन का प्रस्ताव है। वैसे अभी तक सीडब्ल्यूसी को कभी गारंटी की आवश्यकता नहीं पड़ी है क्योंकि 1966-67 से यह मूनाफे में चल रहा है। यह पहले की सरकार का है।

श्री शरद यादव (बिहार): यह बिल्कुल ठीक है। आप पास करवाइए।

श्री रामविलास पासवानः इसलिए इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। यह छोटा-सा मामला है और हम चाहते हैं कि इसको बिना डिबेट के ही पास कर दिया जाए।

The question was proposed.

श्री पी.एल. पुनिया (उत्तर प्रदेश)ः उपसभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने भाण्डागारण निगम (संशोधन) विधेयक, 2015 पर बोलने का मुझे मौका दिया है। आदरणीय रामविलास पासवान जी ने बहुत ही सूक्ष्म और बहुत ही योग्यता के साथ में, इस बिल के बारे में, इसमें होने वाले अमेंडमेंट्स की आवश्यकता के बारे में उल्लेख किया है और पूरा विवरण दिया है। वेयरहाउसिंग कारपोरेशन का गठन 1962 में हुआ था।

[उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय) पीठासीन हुए]

जो इसमें अमेंडमेंट लाया जा रहा है, वह लोक सभा से पास होकर यहां पर पहुंचा है और हमारी राज्य सभा में विचाराधीन है। सैक्शन 5 की रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट गारंटी देने का प्रावधान है और मिनी रत्ना स्टेटस वेयरहाउसिंग कारपोरेशन को 1999 में मिला। उसके तत्काल बाद भी संशोधन हो सकता था, लेकिन बाद में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज ने कहा कि मिनी रत्ना वन, शैड्यूल वन का स्टेटस इसको मिला है, इसलिए इसके वित्तीय अधिकारों में वृद्धि हो जाती है। उन वित्तीय अधिकारों में वृद्धि करने के लिए, बढ़ोतरी करने के लिए इस एक्ट में अमेंडमेंट होना चाहिए और उसी अमेंडमेंट को लेकर माननीय मंत्री जी आए हैं। यह बात सही है कि यह यूपीए-2 सरकार के दौरान का प्रस्ताव है, उसे केबिनेट ने जून 2011 में एप्रूवल दी थी, जिसके बारे में आदरणीय रामविलास पासवान जी ने बताया है। स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट 30.12.2012 को आने के बावजूद यह लोक सभा में पास नहीं हो सका था, क्योंकि पन्द्रहवीं लोक सभा का समय समाप्त हो गया था, जिसकी वजह से यह लेप्स हो गया था। अमेंडमेंट के बाद वेयरहाउसिंग कारपोरेशन की सरकार के ऊपर निर्भरता खत्म हो जाएगी। यह गवर्नमेंट गारंटी के बारे में और बजटरी सपोर्ट के बारे में खत्म होने के बजाए लिमिटिड हो जाएगी और इसमें अमेंडमेंट होने के बाद इनको 500 करोड़ रुपये तक का इन्वेस्टमेंट करने का अधिकार मिल जाएगा, स्वतंत्रता मिल जाएगी, जिसे ये बिना सरकार की अनुमति के कर संकेंगे। इनको ज्वाइंट वेंचर कम्पनी गठित करने का भी अधिकार इस अमेंडमेंट के बाद मिल जाएगा। यह बात सही है कि 1967-68 से यह कम्पनी लाभ में चल रही है और अभी तक गवर्नमेंट गारंटी लेने का कोई अवसर नहीं आया। धारा 5 (1) के संशोधन के बाद, जैसा कि मंत्री जी ने बताया है कि 27 (4), सैक्शन 30 (2), 31 (8) और 39 की भी आवश्यकता नहीं रहेगी और इसके लिए भी आवश्यक संशोधन का प्रस्ताव किया गया है।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं यह बताना चाहूंगा कि वेयरहाउसिंग कारपोरेशन के लगभग 464 वेयरहाउसिस हैं और इनकी कैपेसिटी आज 11.3 मिलियन टन है और यह धीरे-धीरे बढ़ी है। वर्ष 2008-09 में 67.60 लाख टन कैपेसिटी थी, वर्ष 2013-14 में 75.81 लाख टन कैपेसिटी थी और इनका टर्नओवर भी 2008-09 में 849 करोड़ रुपये था और 2013-14 में 1578 करोड़ का टर्नओवर हुआ और

आफटर टैक्स प्रॉफिट 2008-09 में 110 करोड़ रुपये हुआ और 2013-14 में 161 करोड़ रुपये हुआ। ये गवर्नमेंट पर निर्भर नहीं रहे, इन्होंने कभी गारंटी नहीं ली और बजटरी सपोर्ट नहीं लिया। ये डिवीडेंड भी देते रहे हैं। इन्होंने 2008-09 में 30 परसेंट डिवीडेंड दिया और 2013-14 में 48 परसेंट डिवीडेंड दिया। इसके साथ-साथ एक चिंता की बात यह है कि जितनी इनकी 11.03 मिलियन टन की capacity है, इनका capacity utilisation 86 per cent है। इसमें 14 per cent की कमी है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि food grains में 20 से 30 per cent fruits and vegetables नष्ट हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा warehouses बनें, cold-chains बनें, cold-storages बनें और FCI तथा अन्य एजेंसीज के माध्यम से गोदाम बनें। लॉसेज़ अलग-अलग हैं, इसलिए modernisation की बहुत आवश्यकता है और इनमें सुधार करने की भी बहुत आवश्यकता है। जैसा कि मैंने बताया है कि अभी ज्यादातर केवल 113 लाख मीट्रिक टन की capacity के गोदाम हैं, लेकिन FCI और PDS की requirement के लिए 150 लाख मीट्रिक टन की आवश्यकता है और public commercial requirement के लिए 200 मीट्रिक टन की आवश्यकता है, इस तरह से 350 लाख मीट्रिक टन की आवश्यकता आज भी है। इसलिए Warehousing Corporation को आगे बढकर काम करना होगा। यह स्वयं न करे FCI के माध्यम से, Warehousing Corporation के माध्यम से, State Government के माध्यम से, private agencies के माध्यम से इन सबको देखते हुए private investment को attract करने की आवश्यकता है। अन्यथा बहुत जगह लोगों के पास अपनी जमीन है, prime location पर जमीन है और उस जमीन पर लोग गोदाम बनाना चाहते हैं, warehouse बनाना चाहते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकार और सरकार की एजेंसीज़, Warehousing Corporation और FCI एन्करेज़ करें, उनको प्रोत्साहन दें। उनको प्रोत्साहन देने के बाद अगर उनके design के हिसाब से, उनके specifications के हिसाब से बना देते हैं, तो उनको किराये पर लें। जो आपकी इस तरह की रिक्वायरमेंट है, केवल सरकारी एजेंसीज़ के ऊपर निर्भर न करें, केवल राज्य सरकारों के ऊपर ही निर्भर न करें. बल्कि प्राइवेट एजेंसीज़ के माध्यम से गोदामों की capacity बढाने पर विचार करना चाहिए। नए गोदाम बनाने के लिए प्राइवेट लोगों का आह्वान करना चाहिए।

में एक बात और कहना चाहूंगा कि Warehousing Corporation के जो भी गोदाम हैं, इनके इंजीनियर्स बैठे हैं, लेकिन काफी दिनों से उनके maintenance के लिए कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। इन्होंने class 4 के employees को VRS दे दी है और कह दिया है कि इनकी आवश्यकता नहीं है। पहले चौकीदार होते थे, लेकिन अब ज्यादातर लोगों को निकाला जा रहा है। उन लोगों को इसलिए निकाला जा रहा है कि वे अलग से watch and ward का आदमी लगाएंगे और वह भी outsourcing से, ताकि अपने ऊपर से बला टले। माननीय मंत्री जी इस विभाग के मंत्री हैं, हम इनसे जरूर अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि वास्तव में इनको गरीबों की चिंता है। जो गरीब लोग हैं और जो class 4 में भर्ती होते हैं, उनको सरकारी नौकरी से हटाकर Warehousing Corporation को प्राइवेट लोगों के हाथ में दे रहे हैं। अगर यहां कोई दस साल की नौकरी करता है, तो उसको दस साल की नौकरी में लगभग 40 या 50 हजार रुपया मिलना शुरू हो जाता है। अगर ये प्राइवेट एजेंसीज़ से लोगों को लेंगे, outsourcing से लेंगे, तो उनको मुश्किल से दस या पन्द्रह हजार रुपए प्रति माह देंगे। मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा करके एक तरह से इस वर्ग के लोगों का शोषण हो रहा है। मैं समझता हूं कि इसके ऊपर विशेष चिंता करने की जरूरत है।

[श्री पी.एल. पुनिया]

अभी बेमौसम की बरसात हुई और ओलावृष्टि हुई है। मैं कहना चाहूंगा कि गेहूं में जो चमक और रंग होना चाहिए, आज वह चमक और रंग उसमें नहीं है। किसान उनको लिए-लिए घूम रहा है। आज उसको कोई खरीदने वाला नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इसमें हस्तक्षेप करें, क्योंकि यह बहुत आवश्यक है। यह कोई एक जिले, दो जिले या प्रदेश की बात नहीं है, यह पूरे हिन्दुस्तान की बात है। आप इसमें विशेष रूप से intervene करें और इस समस्या का समाधान करें। यह होना चाहिए कि शत प्रतिशत, 100 per cent पैदावार, जो किसान लेकर आता है, उसकी खरीदारी होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि बोनस के मामले में सरकार की बहुत किरकिरी हुई है। इन्होंने राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं कि अगर MSP के साथ बोनस देंगे, तो Central pool में उसको लेंगे ही नहीं, आपको जिस दाम में खरीदना हो, आप उस दाम में खरीदें। मैं समझता हूँ कि यह किसी भी तरह से ठीक नहीं है। आपने किसान के लिए जो एमएसपी निर्धारित किया, वह कम किया है। अगर सौ रुपए, दो सौ रुपए अतिरिक्त बोनस देने के बाद उसको कुछ सुविधा मिलती है, थोड़ा-बहुत remunerative price हो जाता है, तो उसका स्वागत करना चाहिए था, उसको रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए था। फल-सब्जियों में सबसे बड़ा नुकसान होता है, 30 परसेंट के करीब। इसलिए इनके लिए cold chains होनी चाहिए। मैं इसकी एक्टिविटीज़ देख रहा था, तो उसमें clearing and forwarding; handling and transportation; procurement and distribution, ये काम दिखाए गए हैं। आपने कहा कि तरह-तरह के वेयरहाउसेज़ हैं, हम वेयरहाउसिंग में एग्रीकल्चर के लिए भी स्टोरेज कैपसिटी देते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए भी स्टोरेज कैपसिटी देते हैं। आपके पास customsbonded warehouses हैं, containers हैं, freight stations हैं, inland clearance depots हैं, air cargos हैं। इसमें एग्रीकल्चर के लिए केवल 29 परसेंट स्टोरेज कैपेसिटी है। इसलिए एग्रीकल्चर के लिए इसको विशेष रूप से बढ़ाया जाए। विशेष रूप से fruits and vegetables के लिए, जो सबसे ज्यादा सड़ते हैं, जिनकी shelf life सबसे कम है, उनके लिए आपके द्वारा विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए।

मैं एक बात अवश्य पूछना चाहूँगा कि आपने इसमें government guarantee की requirement बंद कर दी। आप कहेंगे कि हमें अब सरकार से बहुत ज्यादा लेना-देना नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इसको disinvestment की तरफ ले जा रहे हैं? आपने जो बजट पेश किया, वह घाटे का बजट है। आपने घाटे को पूरा करने के लिए public sector undertakings के disinvestment के माध्यम से 69,500 करोड़ रुपए लेने का टारगेट रखा है। क्या उस टारगेट में Warehousing Corporation भी तो नहीं है? इसको आप विशेष रूप से अवश्य देखें।

यह बहुत अच्छा बिल है, इसकी आवश्यकता थी। यूपीए सरकार ने इसको प्रारम्भ किया था। इसमें कोई विवाद की बात नहीं है, लेकिन कुछ शंकाएँ हैं, जिनका समाधान हम अवश्य चाहेंगे। विशेष रूप से जो fruits and vegetables उत्पाद सड़ते हैं, जो गेहूँ और अन्य खाद्यान्न सड़ते हैं, उनको बचाया जा सके, ताकि किसान का अहित होने से रोका जा सके, आप इसका विशेष रूप से ध्यान करें।

इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए इस बिल का समर्थन करता हूँ।

[28 April, 2015]

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY): Thank you. Now, Shri Basawaraj Patil.

श्री बसावाराज पाटिल (कर्णाटक) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, आदरणीय मंत्री, रामविलास पासवान जी ने The Warehousing Corporations (Amendment) Bill, 2015, जो इस साल का 39वाँ बिल है, इसे किस महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए पास करना है, उस विषय को सुंदर ढंग से रखा है। उसी के समर्थन में बात करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। एक तो इसे मिनी रत्न का दर्जा मिल गया है और 2003 से यह एक profitable institution बन गया है, इसको ध्यान में रखते हुए इसे कुछ स्वतंत्र वित्तीय अधिकार देने के लिए, ताकि यह अपना काम करे, इस दिशा में उसके बोर्ड, कमेटी, मैनेजमेंट को कुछ अधिकार देने की दृष्टि से वे इस संशोधन को लाए हैं। इसमें सेक्शंस 27, 30, 31 और 39 में संशोधन है। इन सब चीजों के पीछे एक ही उद्देश्य है कि वह एक कम्पनी के रूप में सशक्त होकर, tax purview में आकर अच्छे ढंग से काम करे और चाहे राज्य सरकार के साथ हो, केन्द्र सरकार के साथ हो, वह अपना एग्रीमेंट करके अपने काम और धंधे को बढ़ाए, profitable बने और जनता की और अधिक सेवा करे। जब यह प्रारम्भ हुआ था, उस समय एक प्रकार से यह घाटे की कम्पनी था, लेकिन किसान के कुछ प्रोडक्ट्स खरीदने की दृष्टि से इसे सरकार द्वारा कुछ गारंटी देने की जरूरत रहती थी। लम्बे समय तक सरकार ने इसका साथ दिया है। यह अच्छा है कि आज यह एक profitable कम्पनी बन गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह और सशक्त बन कर काम कर सके, इस दृष्टि से सरकार इसे देखे। इसके साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात है, जब कभी सरकार किसानों के हित में किसी चीज़ की खरीद के लिए इनको अधिकार देती है, तो उस समय यह निश्चित ध्यान में रखे कि यह टैक्स के परव्य में नहीं आएगा। जनहित को ध्यान में रखकर, इसे इससे बचाए रखने की दृष्टि से धारा 5 (1) और धारा 39 में इन्होंने एक सुन्दर संशोधन पेश किया है, जिससे सरकार ने एक प्रकार से जनसेवा और जनहित की दृष्टि से उसके ऊपर अपना एक अधिकार बनाए रखा है।

महोदय, मेरी एक ही चिन्ता है। जैसा माननीय सदस्य ने भी अभी कहा है, जब कभी भी कोई निगम बन जाता है, तो वह कमाई के रास्ते पर चला जाता है। मेरी चिन्ता यह है कि जनहित या किसान के हितों के लिए बना हुआ यह कॉर्पोरेशन भी कहीं पैसा कमाने की धुन में अथवा कम्पनी लॉ के नियमों के अन्दर अपना रास्ता भटक न जाए। मुझे निश्चित रूप से यह विश्वास है कि आदरणीय रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में यह अपना रास्ता नहीं भटकेगा। हमें पूरा विश्वास है कि जब कभी भी किसान को जरूरत पड़ेगी, किसानों के हित में जब कभी भी सरकार इस निगम को खरीदी के लिए आदेश देगी, उस समय निश्चित रूप से निगम को बड़ी मात्रा में इस कार्य को पहली प्रायोरिटी देकर काम करना होगा। यह निगम जनहित में काम करेगा, इतना कहते हुए और इस बिल का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

चौधरी मुनव्वर सलीम (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, पासवान साहब का जो भाण्डागारण निगम (संशोधन) विधेयक, 2015 है, इसकी धारा 5(1) में जो संशोधन किया गया है, मैं उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इस विधेयक को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। मैं अपने दल और अपने दल के नेता का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया। [RAJYA SABHA]

[चौधरी मुनव्वर सलीम] 4.00 р.м.

महोदय, अभी बिल पेश होने से पहले पासवान जी की जो तकरीर थी, उससे हमें बिल की मंशा अच्छी लगी, लेकिन बिल अधूरा है, इसीलिए मैं अपनी ओर से इस पर कुछ मशवरे देना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि Warehousing Corporation और खेती का चोली-दामन का साथ है। हिन्दुस्तान में इस कॉर्पोरेशन की आवश्यकता और इसको मजबूत बनाने की जरूरत, आजादी के बाद से आज तक, पिछले अनेक वर्षों से महसूस की जाती रही है, लेकिन सरकारों में और साथ ही वर्तमान विधेयक में इसको पूरी तरह से सक्षम बनाने की कोई रणनीति या नीति दिखाई नहीं दी है। मैं इस पर कुछ मशवरे देना चाहता हूं।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, इस देश में 89% खेती या अनाज के संरक्षण के लिए कोई इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है। कृषि से कई गुना ज्यादा सब्सिडी उद्योगों को दी जाती है। मसलन मैं एक बात कहना चाहता हूं, पिछले पाँच सालों में 30 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी उद्योगों को दी गई, जबकि खेती को सिर्फ 2.5 लाख करोड़ रुपये की ही सब्सिडी दी गई थी। खेती और भंडारण का रिश्ता बहुत सीधा है।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, इस देश में औसतन 359 मिलियन टन अनाज हर वर्ष पैदा होता है, लेकिन सरकार के पास उसके संरक्षण के लिए, उसको रखने के लिए केवल 36.84 मिलियन टन भंडारण की व्यवस्था है। 200 मिलियन टन अनाज को कहां पर रखा जाए, इसकी व्यवस्था न होने के कारण हर बार वह सड़ जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल भी काफी अनाज सड़ा है। एक मज़बूत अखबार की यह रिपोर्ट है कि इस अनाज की कीमत 44,000 करोड़ रुपये होती है। सरकारी गोदामों की क्षमता केवल 13 मिलियन टन है, जबकि हर वर्ष हम 259 मिलियन टन अनाज पैदा करते हैं। सरकारी गोदामों के अलावा हम किराए पर भी गोदाम लेते हैं, जिनमें हम केवल 31 मिलियन टन अनाज सुरक्षित कर पाते हैं और 3 मिलियन टन अनाज बरसातियों और चबूतरों के नीचे छिपा कर हम सुरक्षित करते हैं।

इसके बाद भी, अभी एक मिनट पहले हमारे नेता, माननीय प्रो. राम गोपाल यादव जी ने कहा कि हमारे उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और अनेक प्रदेशों में यह स्थिति देखने में आई। अन्य प्रदेशों में भी यह स्थिति देखने में आई होगी। कुछ लोग private godowns बना लेते हैं, लेकिन सरकार उन private godowns को लेने में भी कंजूसी करती है। अनाज सड़ जाता है, लेकिन वे godowns खाली पड़े रहते हैं। माननीय पासवान जी से मैं यह कहना चाहता हूँ कि सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए।

महोदय, एफसीआई का खुद यह मानना है कि 2005 से 2013 के दौरान 1,94,502 मीट्रिक टन अनाज बरबाद हुआ है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सरकार का यह जो संशोधन है, जैसा पासवान साहब ने कहा कि यह छोटा-सा संशोधन है, तो इस पर आप एक बड़ा संशोधन लाइए। इस पर बड़े

Bills

[28 April, 2015]

संशोधन की आवश्यकता है। हम जिस तरह गाँव और शहर के बीच खाई पैदा कर रहे हैं, यह मुल्क के विकास के लिए खतरनाक है, विकसित भारत बनाने में खतरनाक है।

महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 2009 से 2013 के बीच बरबाद होने वाली सब्जी, फल और अनाज की कीमत 2 लाख 6 हजार करोड़ रुपये है, जो भंडारण नहीं होने की स्थिति में बरबाद हो गये। हमने पिछले पाँच सालों में लगातार यहाँ बहस की। हमने बहस यह की कि अनाज को बचाना चाहिए, अनाज को सड़ने से बचाना चाहिए और वेयरहाउस कॉरपोरेशन को ताकतवर बनाना चाहिए। पिछली सरकार ने भी बार-बार कहा कि हम इसमें बाहर ही से पीपीपी मॉडल चाहते हैं। लेकिन महोदय, इस संशोधन में सरकार अपने आपको exempt करना चाहती है। यह खतरनाक बात है। अगर आप इसे भी privatisation की तरफ ले जा रहे हैं और अपनी नैतिक जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, तो यह देश के लिए घातक होगा। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ ...(समय की घंटी)... कि पूरी कृषि के बजट के बराबर अनाज की इतनी बड़ी बरबादी होती है, जो कि किसान पैदा करता है। किसान मौसम से लड़ता है। जब जाड़ा रहता है, तब सब बिस्तर में सोते हैं, लेकिन मेरे देश का किसान खेतों में पानी देता है। जब गरमी होती है, तब सब ए.सी. में सोते हैं, लेकिन मेरे देश का किसान लू और लपट में अपने मासूम बच्चों को लेकर खेती करता है, अनाज पैदा करता है। जस बरसात होती है, तब सभी शीशों के अन्दर से बारिश देखते हैं, लेकिन मेरे देश का किसान होती है, तब सभी शीशों के अन्दर से बारिश देखते हैं, लेकिन मेरे देश का किसान होती है, तब सभी शीशों के अन्दर रह कर फसल पैदा करता है।

सर, मैं कहना चाहता हूँ कि भंडारण के इस बिल का ताल्लुक किसान से गहरा है। अगर हम उसके पैदा किए हुए अनाज को सुरक्षित भी नहीं कर पायेंगे, तो यह उसके साथ भी ज्यादती है और देश के साथ भी ज्यादती है। इसलिए, मैं माननीय पासवान जी से कहना चाहता हूँ कि इस पर छोटा नहीं, बड़ा संशोधन लाइए। आप धारा 5(1) में अपने आपको exempt मत कीजिए, दूर मत कीजिए, बल्कि आप और करीब जाइए, वेयरहाउस कॉरपोरेशन को सक्षम बनाइए, इसे स्टेट्स में बनाइए, देश में बनाइए। लेकिन, वे लोग जो सहयोग करना चाहते हैं, सब कुछ एक दौलत मंद के सुपुर्द मत कीजिए। आप अवाम का सहयोग लीजिए, जन-सहयोग लीजिए और आप भंडारण की व्यवस्था को व्यवस्थित करिए।

मैं जानता हूँ, पासवान जी हमारे पुराने नेता रहे हैं। उनके मन में किसान के लिए जरूर कसक होगी। अगर किसान के लिए कसक है, तो वे भंडारण की व्यवस्था को एक बड़ा बिल लाकर, एक बड़ा संशोधन लाकर व्यवस्थित करें, ताकि यह जो लगभग 44 हजार करोड़ रुपये का अनाज हर साल बरबाद होता है, वह बच सके। किसान को बजट में 1 हजार करोड़ रुपये सिंचाई के लिए मिलते हैं, लेकिन हर साल 44 हजार करोड़ रुपये की उसकी पैदा की हुई फसल बरबाद होती है। तो उसके साथ हो रहा जुल्म देखिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि यह बिल अधूरा है, इसको पूरा करके लायें और जन-सहयोग से अनाज को सुरक्षित करने की व्यवस्था करें। ...**(समय की घंटी)**... वे लोग, जो अपने private godowns बना कर आपसे contact करना चाहते हैं, उसके अन्दर आप एक नीतिसंगत फैसला लेने की बात करें और FCI को इंस्ट्रक्शन दें कि वह उन लोगों का सहयोग ले, ताकि अनाज की हिफाजत हो सके। धन्यवाद। [चौधरी मुनव्वर सलीम]

†چودہری منؤر سلیم (اترپردیش) : ماننے أب سبھادھیکٹ مہودے، یاسوان صلحب کا جو بھنٹگارن نگم (سنشودھن) ودھیک، 2015 ہے، اس کی دھارا (1) 5 میں جو سنشودھن کیا گیا ہے، میں اس پر بولنے کے لئے کھڑا ہوا ہوں۔ میں اس ودھیک کو بہت اہم ملتا ہوں۔ میں اپنے نال اور اپنے نال کے نیتا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس اہم موضوع پر مجھے بولنے کا موقع دیا.

مہودے، ابھی بل پیش ہونے سے پہلے پاسوان جی کی جو تقریر تھی، اس سے ہمیں بل کی منشا اچھی لگی، لیکن بل ادھورا ہے، اسی لیے میں اپنی طرف سے اس پر کچھ مشورے دینا چاہتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ Warehousing Corporation اور کھیتی کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ بندستان میں اس کارپوریٹین کی ضرورت اس کو مضبوط بنانے کی ضرورت، از ادی کے بعد سے آج تک، پچھلے انیک ورشوں سے مصوب کی جاتی رہی ہے، لیکن سرکاروں میں اور ساتھ ہی موجودہ بل میں اس کو پوری طرح سے سکٹم بنانے کی کوئی رن نیتی یا نیتی دکھاتی نہیں دی ہے۔ میں اس پر کچھ مشورے دینا چاہتا ہوں۔

مانیلے آپ سبھا ادھیکٹل مہودے، اس دیش میں %89 کھیتی یا اناج کے سنرکٹین کے لئے کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے. کرشی سے کئی گتا زیادہ سیسڈی صنعتوں کو دی جاتی ہے۔ مثلاً میں ایک بلت کہنا چاہتا ہوں، پچھلے پانچ سالوں میں تیس لاکھ کروڑ روپے کی سیسڈی صنعتوں کو دی گئی، جب کہ کھیتی کو صرف ڈھانی لاکھ کروڑ روپے کی ہی سیسڈی دی گئی تھی۔ کھیتی اور بھنڈارن کا رشتہ بہت سیدھا ہے۔

ملتیئے آپ سبیا مہودے، اس دیش میں اوسطاً 350 ملین ٹن اناج ہر سال پیدا ہوتا ہے، لیکن سرکار کے پلی اس کے سنرکشن کے لئے، اس کو رکھنے کے لئے صرف 36.84 ملین ٹن بینڈارن کی ویوستیا ہے۔ 200ملین ٹن اناج کو کہل پر رکھا جائے، اس کی ویوستیا نہ بونے کی وجہ سے ہر بار وہ سڑجاتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس سال بھی کالی اناج سڑا ہے۔ ایک مضبوط اخبار کی یہ رپورٹ ہے کہ اس اناج کی قیمت 44000 کروڑ روپے ہوتی ہے۔ سرکاری گوداموں کی شمتا صرف 13 ملین ٹن بے، جبکہ ہر سال ہم 259 ملین ٹن اناج پیدا اس اناج کی قیمت 44000 کروڑ روپے ہوتی ہے۔ سرکاری گوداموں کی شمتا صرف 13 ملین ٹن ہے، جبکہ ہر سال ہم 259 ملین ٹن اناج پیدا کرتے ہیں۔ سرکاری گوداموں کے علاوہ ہم کرانے پر بھی گودام لیتے ہیں، جن میں ہم صرف 31 ملین ٹن اناج محفوظ کرپائے ہیں اور 3 ملین ٹن اناج برسائیوں اور چبوتروں کے نیچے چیپلکر ہم محفوظ کرتے ہیں۔ اس کے بعد بھی، ابھی ایک منٹ پہلے ہمارے نیڈا، ملئے پر وفیسر رام ٹن اناج برسائیوں اور جبوتروں کے نیچے چیپلکر ہم محفوظ کرتے ہیں۔ اس کے بعد بھی، ابھی ایک منٹ پہلے ہمارے نیڈا، ملئے پر وفیسر رام گویل یادو جی نے کہا کہ ہمارے ائر پردیش میں، مدھیہ پردیش میں اور دوسرے پر ڈیڈیوں میں یہ حلات دیکھتے میں آئی۔ دیگر پردیشوں میں بھی یہ حلات دیکھتے میں آئی ہوگی۔ کچھہ لوگ Private godowns بنا لیتے ہیں، لیکن سرکار ان sourde کو لیتے میں ایں۔ می کوپل یادو جی نے کہا کہ ہمارے ائر پردیش میں، مدھیہ پردیش میں اور دوسرے پر ڈیڈیوں میں یہ حلات دیکھتے میں آئی۔ دیگر پر دیشوں میں بھی یہ حلات دیکھتے میں آئی ہوگی۔ کچھہ لوگ godowns خلی پڑے رہتے ہیں، ملئے پاسوان جی سے میں یہ کینا چاہتا ہوں کہ سرکار کو

Transliteration in Urdu Script.

مہودے، ایف سیآئی۔ کا خود یہ ماننا ہے کہ 2005 سے 2013 کے دوران 1،94،502 میٹرک ٹن اناج برباد ہوا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار کا یہ جو سنٹودھن ہے، جیسا پاسوان صاحب نے کہا کہ یہ چھوٹا سا سنٹودھن ہے، تو اس پر آپ لیک بڑا سنٹودھن لائیے۔ اس پر بڑے سنٹوڈھن کی ضرورت ہے۔ ہم جس طرح گاؤں اور شہر کے بیچ کھائی پیدا کر رہے ہیں، یہ ملک کے وکاس کے لئے خطرناک ہے، وکست بھارت بنائے میں خطرناک ہے۔

مبودے، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ 2009 سے 2013 کے بیچ برباد ہونے والی سبزی، پہل اور اناج کی قیمت دو لاکھہ چھہ ہزار کروڑ روپے ہے، جو بھنڈارن نہیں ہونے کی حلت میں برباد ہو گئے۔ ہم نے پچھلے پانچ سائوں میں لگذار پہلی ہمٹ کی۔ ہم نے ہمٹ یہ کی کہ اناج کو بچانا چاہتے، اناج کو سڑنے سے بچانا چاہتے اور ویئر ہاؤس کارپوریٹن کو طاقتور بنانا چاہتے۔ پچھلی سرکار نے بھی بار بار کہا کہ ہم اس میں باہر ہی سے پی چی ہی۔ مثل چاہتے ہیں۔ لیکن مہودے، اس سنٹودھن میں سرکار اپنے آپ کو exempt کرنا چاہتے ہے۔ یہ خطرناک بات ہی۔ اگر آپ اسے بھی مدائل چاہتے ہیں۔ لیکن مہودے، اس سنٹودھن میں سرکار اپنے آپ کو privatisation کرنا چاہتی ہے۔ یہ خطرناک بات ہے۔ اگر آپ اسے بھی notitisation کی طرف لے جا رہے ہیں اور اپنی نینک ذمہ داری سے بھاگ رہے ہیں، تو یہ دیش کے لئے کہ کمان پینا کرتا ہے۔ کمان موسم سے لڑتا ہے۔ جو جاڑا رہتا ہے، تب سب بستر میں سوتے ہیں، لیکن میرے دیش کا کمان کھیتوں میں پائی کہ کمان پینا کرتا ہے۔ کمان موسم سے لڑتا ہے۔ جب جاڑا رہتا ہے، تب سب بستر میں سوتے ہیں، لیکن میرے دیش کا کمان کھیتوں میں پئی کہ کمان پینا کرتا ہے۔ کمان موسم سے لڑتا ہے۔ جب جاڑا رہتا ہے، تب سب بستر میں سوتے ہیں، لیکن میں کا کمان کھیتوں میں پئی کہ کمان پینا کرتا ہے۔ کمان موسم سے لڑتا ہے۔ جب جاڑا رہتا ہے، تب سب بستر میں سوتے ہیں، لیکن میں دیش کا کمان کھیتوں میں پئی کہ کمان پینا کرتا ہے۔ کمان موسم سے لڑتا ہے۔ جب جاڑا رہتا ہے، تب سب بستر میں سوتے ہیں، لیکن میں کا کمان کھیتوں میں پئی

سر، میں کپنا چاہتا ہوں کہ بینڈارن کے اس بل کا تعلق کسان سے گہرا ہے۔ اگر ہم اس کے پیدا کئے ہونے اناج کو محفوظ بھی نہیں کر پائیں گے، تو یہ اس کے ساتھہ بھی زیانتی ہے اور دیش کے ساتھہ بھی زیانتی ہے۔ اس لئے، میں ملٹنے پاسوان جی سے کپنا چاہتا ہوں کہ اس پر چھوٹا نہیں، بڑا سنشودھن لائیے۔ آپ دھارا (1) 5 میں اپنے آپ کو exempt مت کوجئے، دور مت کیجئے، بلکہ آپ اور قریب جاتیے، ویئر باؤس کارپوریٹن کو سکشم بنائیے، اسے اسٹیٹس میں بنائیے، دیش میں بنائیے۔ لیکن، وہ لوگ جو سہیوگ کرنا چاہتے ہیں، سب کچھہ ایک دولتمند کے سپرد مت کیجئے۔ آپ عوام کا سپیوگ لیجئے، چن سپیوگ لیجئے اور آپ بھنڈارن کی ویوستھا کو ویوستھت کرتیے۔

میں جلتا ہوں، پلسوان جی ہمارے پر اے نیتا رہے ہیں۔ ان کے من میں کسان کے لئے ضرور کسک ہوگی۔ اگر کسان کے لئے کسک ہے، تو وہ بھنڈارن کی ویوستھا کو، ایک بڑا بل لاکر، ایک بڑا سنشودھن لاکر ویوستھت کریں، تلکہ یہ جو لگ بھگ 44 ہزار کروڑ روپے کا اناج ہر سال ہرباد ہوتا ہے، وہ بچ سکے۔ کسان کو بجٹ میں ایک بڑار کروڑ روپے سینچائی کے لئے ملتے ہیں، لیکن ہر سال 44 ہزار کروڑ روپے کی اس کی پیدا کی ہوئی فصل برباد ہوتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہورہا ظلم دیکھیئے۔ اس لئے میں کپنا چاہتا ہوں کہ یہ بل لاہورا ہے، اس کو پورا کرکے لائیں اور جن سہوگ سے اتاج کو محفوظ کریں ۔۔(وقت کی گھنٹی)۔۔ وہ لوگ، جو اپنے پرائیویٹ گودام بناکر آپ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے اندر آپ لیک نیتی سنگت فیصلہ لیئے کی بلت کریں اور FC1 کے انسٹرکٹن دیں کہ وہ ان لوگوں کا سہیوگ لے، تلکہ اتا چ کی حفاظت ہوسکے۔ دھیواد. श्री के. सी. त्यागी (बिहार): धन्यवाद, उपसभाध्यक्ष महोदय। जिन परिस्थितियों में सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन का निर्माण हुआ था, वे बड़ी विषम परिस्थितियां थीं। किसान जब फसल पैदा करता था, तब उनकी फसल मंडियों में जाए, इसकी व्यवस्था नहीं थी और किसान के मकान में स्टोरेज की व्यवस्था नहीं थी, इसलिंए उस समय पडित जवाहर लाल नेहरू, जो भारत के उस समय के प्रधान मंत्री थे, उनके दिमाग में विचार कौंधा कि क्यों नहीं सरकारी सेक्टर में इस तरह के भंडारण की व्यवस्था की जाए ताकि किसान अपनी मर्जी से भंडारण कर सके और अपनी मर्जी से उसको बेच भी सके। उस समय किसानों का जो शोषण हो रहा था, उसके विरुद्ध यह एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम माना गया था।

सर, मुझे भी दो साल इस संस्था का चेयरमैन रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसलिए कुछ तकलीफें, कुछ जानकारियां, कुछ उसके एक्सटेंशन की संभावनाएं मैं भाई रामविलास जी को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। माननीय मंत्री महोदय, सन् 1955 से लेकर 2015 तक लगभग 500 के करीब वेयरहाउसेज़ हैं और आप दो-चार जगह का दौरा कीजिए, इन पचास सालों में इनकी पुताई तक नहीं हुई है, what to speak of other things? जो छत की एक ईंट नीचे गिर गई है, वह ईंट दोबारा नहीं लगी।

सर, जितनी प्राइम प्रॉपर्टीज़ सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन की है, उतनी प्राइम प्रॉपर्टी किसी की नहीं है, लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि मैंने अपने समय में प्रयास किया था, जब माननीय अटल जी प्रधान मंत्री थे, तो उन्होंने मुझे इसका चेयरमैन बनाया था, आप भी थे, शरद जी भी थे, एक तो इसकी अर्बन प्रॉपर्टी हो गई है, जैसे चांदनी चौक में जो वेयरहाउस है, वहां ट्रक जा ही नहीं सकता है, न रात में, न दिन में। अगर अहमदाबाद के कोई साथी यहां पर हों, तो उनको पता होगा कि जिस जगह पर वहां वेयरहाउस बना हुआ है, मुम्बई शहर में जिस जगह पर वेयरहाउस बना हुआ है, वहां पर न बस जा सकती है, न तांगा जा सकता है, न बेलगाड़ी जा सकती है। मेरा कहना यह है कि उस संपत्ति का आप बढ़िया इस्तेमाल करके क्यों नहीं मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ नए वेयरहाउसेज़ का निर्माण करें।

मैं एक चीज से डरा हूँ, आपका पुराना समाजवादी साथी होने के नाते वह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह जो पीपीपी है, इससे बड़ा डर लगता है। अभी आपने कॉर्पोरेशन में जो अधिकार दिए हैं, that it will take a decision to spend up to ₹ 500 crore and it will be used for the joint ventures. अब मैं आपसे मगज नहीं मारना चाहता कि आप इस काम को मत कीजिए। यह तो अब आप लोगों की ऐतिहासिक अनिवार्यता हो गई है, लेकिन इसमें CWC का जो मैनेजमेंट है, उसकी सुप्रीमेसी बनी रहनी चाहिए और इसको थोड़ा और मॉडर्न बनाइए। अभी मुनव्वर सलीम साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे, ये भी आपके पुराने साथी हैं, कि इसका जितना इस्तेमाल हो सकता है -- जैसे मैं आपको फूल के बारे में बताना चाहता हूँ। इस समय दुबई flowers की बहुत बड़ी मंडी है, हिन्दुस्तान में पुणे, बैंगलुरू और दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अगर आप यहां पर वेयरहाउसेज़ बना दें, चूंकि दुबई इस समय Amsterdam से फूल मंगवा रहा है, इसलिए यह उसको मंहगा पड़ता है। हमारे देश में तीन-चार सेंटर्स ऐसे हो सकते हैं, जो flower production के हैं। आपका आम है, इस समय उसकी दुनिया भर में धूम है, लेकिन आम की उम्र तीन दिन से ज्यादा नहीं होती है। जिस दिन आम पकेगा, वह आने वाले 72 घंटे में खराब हो जाएगा। आप इसमें उसके preservation का इंतजाम कर सकते हैं।

दूसरा, जो customs-bonded वेयरहाउसेज़ हैं, आप एक-दो जगह जरूर गए होंगे, जैसे जेएण्डपीटी में है और कई जगह पर हैं, इस समय वह आपकी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, जहां पब्लिक सेक्टर के सामने जो प्राइवेट सेक्टर खड़ा हो गया है, अडानी पहुंच गया है, वहां पर अम्बानीज़ पहुंच गए हैं, इसलिए आपको उन प्रॉपर्टीज़ को बचाना है। जो पब्लिक सेक्टर के customs-bonded वेयरहाउसेज़ हैं, उनके पास जमीन भी ज्यादा है और इंतजामात भी ज्यादा हैं, आपको उनको प्रोटेक्ट करके रखना है।

इसकी मेंटीनेंस को लेकर मेरा आपसे निवेदन है, इस संबंध में शान्ता कूमार जी ने जो recommendations की हैं, कृपया पहले तो आप उन्हें रिजेक्ट कीजिए। इस क्षेत्र में उनकी जो भी recommendations हैं, मैंने जितना जाना है, वे इस लायक नहीं हैं। उसका ढूलाई का अलग कीजिए, सफाई का अलग कीजिए. उसका अलग कीजिए. ये सब चीजें चाहे वह एफसीआई के बारे में हो या सीडब्ल्यूसी के बारे में हो, वह बहुत व्यावहारिक नहीं है। मैंने परसों भी उनकी तारीफ की थी कि वे अच्छे-भले, ईमानदार इंसान हैं। ...(समय की घंटी)... तो आप वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और फ्लॉवर्स के लिए इंतजाम कीजिए। मुझे इसमें ज्यादा नहीं कहना है। मेरा इतना ही कहना है कि आप इसको प्राइवेट सेक्टर में क्यों जाने देते हैं। आप 1000 वेयरहाउसेज़ और बना सकते हैं। आपके पास जमीन है, उसको अपग्रेड कर सकते हैं। इसमें मैं एक और चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस दिन यह प्राइवेट सेक्टर में जाएगा, उस दिन किसान के लिए अपना सामान वहाँ ले जाना उसके वश में नहीं होगा। आज तो किसान इतने सस्ते दामों पर वहाँ अपना सामान जमा कर देता है और विदड़ा कर लेता है, लेकिन याद रखना जिस दिन यह मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस और बड़े पूँजीपतियों के यहाँ जाएगा, उस दिन इसकी शक्ल बदल जाएगी और तब किसी किसान के वश का यह नहीं होगा कि वह अपना माल वहाँ जमा करा सके, इसलिए अभी यह संभव हो सकता है। इस समय इसकी शायद 10 मिलियन मीट्रिक टन की कैपेसिटी है, इसको आप और भी बढा सकते हैं। आप वेयरहाउसेज़ को बढा सकते हैं और स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन के साथ मिलकर इसको बना सकते हैं। सब जगह आपके तो सभी लोग चाहने वाले हैं, राज्यों में मंत्री, मुख्य मंत्री, यार-दोस्त और साथी हैं। इसलिए स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन के साथ मिलकर ज्वाइंट वेंचर में अगर वह बनाएँ, तो वह ज्यादा कारगर होगा, बजाय इसके कि बड़े-बड़े पूँजीपतियों के हाथ में देकर इसको करें। अगर आप मेरे इन सुझावों को किसी समय में आवश्यक समझेंगे और आपके पास चाय पिलाने का भी समय होगा तो में निजी तौर पर भी पहले की तरह ही हाजिर हो जाऊँगा। उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मौका दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI AHAMED HASSAN (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, the Central Warehousing Corporation (CWC) is a profit making entity and it has been consistently paying dividend to the Government of India for the last 60 years. The Corporation has not taken any loan from the Central Government, and it does not receive any budgetary support.

[RAJYA SABHA]

[Shri Ahamed Hassan]

According to the rules, the Government cannot be a guarantor for a grade one Mini Ratna company like the CWC. Currently the Warehousing Corporations Act requires that the Central Government guarantee the repayment of the principal and dividend payments on shares of the Corporation.

As the CWC can manage its financial affairs on its own, this Bill withdraws the guarantee of the Government. It will also make the Corporation more financially independent as it would be free to spend up to T 500 crore without seeking the Government's approval.

Sir, even though the Government will cease to be a guarantor, we hope that it will not abdicate its regulatory responsibility. We had discussed the farmers' crisis in the country yesterday, and the CWC has a very important role to play in alleviating the plight of the farmer.

About 65-70 per cent of the total foodgrain produced in the country is stored at the farm level. Around 20-30 per cent of the total foodgrain harvested is wasted due to inadequate storage facilities.

As Tyagiji has said, the warehouses of the CWC are located in urban areas. They are inaccessible to most rural farmers. A network of rural storage centres should be built on a priority basis in order to prevent distress sales, wastage and loss arising out of inadequate and defective storage facilities.

About 75 per cent of the storage capacity of the CWC is concentrated in five States, namely, Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh and Chhattisgarh.

Only seven per cent of the total storage capacity is available in the Eastern Zone. The CWC needs to address this imbalance and create more storage capacity in the lesser served States.

Nearly 40 per cent of the fresh food produced in the country perishes due to lack of cold storages. In West Bengal, the State Marketing Boards are constructing 34 new multipurpose cold storages, in addition to the 100 existing cold storages.

There is a need to make these warehouses more accessible to the farmers by creating greater awareness about the facilities and ensuring better transport from rural areas to the places where the centres are located. Warehousing facilities could also be directly connected to the strengthening of banking facilities in rural areas. Farmers should be

Bills

[28 April, 2015]

provided with receipts for commodities stored by them. Each receipt can function as a negotiable instrument that enables them to obtain credit from the banks. Sir, it is our request to the hon. Minister to take note of our suggestions and find ways to implement them. Thank you, Sir.

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH (Tamil Nadu): Hon. Vice-Chairman, Sir, as I stand to speak on this Amendment Bill, let me begin by quoting Margaret Thatcher – "To create a genuine market in a state you have to take the state out of the market." Also, "Government control is fundamentally bad because it denies people the power to choose and the opportunity to bear responsibility for their own actions."

When Government does away with being a guarantor for the principle and dividend, Government financial responsibility reduces, corporation's responsibility in managing its own finances increase. But, Sir, we must exercise caution when we withdraw the words "Government as guarantor". This should not give out the signal that when Government does not want to act as a guarantor, it shirks the responsibility of being a responsible Government, because the warehouse was created with a view to providing Minimum Support Price to the farmers and ensuring that people of India do not suffer from want of food.

Sir, the Minister knows this better than anybody else in this august House since he knows well the pulse of the masses, especially the downtrodden. This Bill is highly related to basic needs of human beings. This Warehouses Bill acts as the backbone of the Food Security Act of India and the PDS system.

At this juncture, it would be better to mention that Tamil Nadu is the best performing State in the Public Distribution System. The *Amma Unavagam*, launched by our tall leader, *Amma*, stands testimony to the kind of importance our leader attached to the removal of hunger of our people.

Our Tamil poet and philosopher, Thiruvalluvar says, "Uzhavinar kaimadangin illai vizhaivathuvum vittemen parkkum nilai", which means, 'If the farmer's hands are slackened, even an ascetic state will fail.'

As I speak now, it is my bounden duty to draw the attention of the Government to suicides by Maharashtrian farmers. My heart bleeds for them. In the words of the agriculture scientist, Shri M. S. Swaminathan, "Farming is a life-giving profession. The sun light, green plants and the farmer, who converts them, are the real forces. The people who are in life-giving profession are taking their own lives. There is something radically wrong in the society. The problem was dealt with in a superficial way. There

[RAJYA SABHA]

[Shrimati Vijila Sathyananth]

were packages, Chief Minister's package, Prime Minister's package, etc. The Prime Minister announced a package for Vidarbha. It did not work because it was not made in consultation with the farmers. You should know where the shoe pinches. This would be the best time for the Government to go in for production cost plus 50 per cent profit. That is the minimum that a farmer should get.

There should be some social protection. If a farmer commits suicide, others are not concerned. There should be social protection. The Gram Sabhas should be ever vigilant. They know the farmers are highly indebted and they know they are taking loans from moneylenders. You have to move on different fronts. There should be packages for giving insurance for cows, crops, etc. This can be done by the Minister and his Government. You were the product of emergency protest led by Jayaprakash Narayan, who knew the importance of Bhoomi Dhan, farming and farmers. There is no wrong when the Government wants to put its finance in order, but the priority of the Government should always be the welfare of the people. Compromising on people's welfare and putting the Government finance in order is not the symbol of good governance. About two years ago, when the Neyveli Lignite Corporation stake was offered for sale by the Central Government, knowing the implications of the move, our beloved leader, Dr. Puratchi Thalaivi Amma took a phenomenal step and five of our State PSUs bought the entire stake put on block in the interest of the labour, people and the Government. Here, this amendment has been brought in order to bring efficiency in the PSU administration and to give freedom to perform. Sir, while urging you to give the farmers and the poor the utmost importance, I support this Bill. Thank you.

श्री नरेन्द्र कुमार कश्यप (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक को देश के अन्न, फल एवं सब्जियों की बरबादी से बचाने हेतु आवश्यक समझता हूं, क्योंकि देश के किसान और देश के खाद्यान्न की सुरक्षा भंडारण के माध्यम से ही सुरक्षित हो सकती है। इसकी इंपोर्टेंस को योजना आयोग ने अपनी 12वीं योजना में भी प्रदर्शित करने की कोशिश की थी।

महोदय, WTBA ने भी इस पर बहुत काम किया था। शीत भंडारणों में समझौता वार्ता एवं वेयरहाउस रसीद प्रणाली को स्थापित करने की चेष्टा भी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद हमारे देश में भंडारण की समुचित व्यवस्था न होना आज भी चिन्ता का विषय बना हुआ है। इस विधेयक के माध्यम से मैं आपके समक्ष देश की चिन्ता व्यक्त करना चाहता हूं। आज भी हमारे देश में 30 प्रतिशत अनाज, फल, सब्जी और फ्रूट्स भंडारण व शीतगृह की कमी के कारण नष्ट हो जाते हैं। इसका दुष्प्रभाव यह होता है कि आज भी हमारी इन चीजों की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती हैं।

महोदय, हमारे देश के गरीब आदमियों को भूखे मरने से बचाने के लिए भी यह जरूरी है कि भाण्डागारण निगम अपनी सीमाओं और क्षमताओं को बढ़ाने की कोशिश करे। हमारे देश में आज भी

साढ़े तीन करोड़ टन स्टोरेज कैपेसिटी की कमी है। ऐसोचैम ने भी कहा था कि अनाज का 40 प्रतिशत स्टोरेज अव्यावहारिक तरीके से होता है। हमारे देश में मुख्य भंडारण और ढुलाई सहित आपूर्ति की कमियों के चलते हर साल दो करोड़ टन गेहूं बरबाद हो जाता है। स्थिति इतनी बदतर है कि हमारी सरकार की इस व्यवस्था पर टिप्पणी करते हुए देश की सुप्रीम कोर्ट को भी यह कहना पड़ा था कि यदि सरकार देश के गेहूं का भंडारण करने में नाकामयाब साबित हो रही है, तो उसे इस गेहूं को देश के गरीबों में मुफ्त बांटने की व्यवस्था करनी चाहिए।

महोदय, मुझे इस बात की जानकारी है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा गरीब लोग अपना पेट भरने के लिए दो वक्त की रोटी कमाने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं। आंकड़े यह बताते हैं कि देश भर में आठ हजार से ज्यादा लोग भूखे मरते हैं। महोदय, स्थिति यह है कि एक तरफ गेहूं की बरबादी भंडारण की कमी से होती है और दूसरी तरफ अनाज की कमी से देश का गरीब मरता है। इस विषम परिस्थिति से निकलने के लिए कोई न कोई ठोस कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। पिछले तीन सालों में हमारे देश के अंदर 58 हज़ार टन अनाज खराब हुआ है ...(समय की घंटी)... और मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनूरोध करना चाहता हूं कि जो भाण्डागारण पहले से स्थापित हैं, उनके रख-रखाव की समूचित व्यवस्था कैसे होगी, इस पर अभी सरकार को काम करने की जरूरत है। देश में अनाज, फल और सब्जियों के भंडारण की व्यवस्था समुचित रूप से हो, इसके लिए सरकार के पास वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता क्या है? पूरे भारतवर्ष में दिक्कत यह है कि हमारे यहां फसल अच्छी होती है, साग-सब्जियां भी होती हैं, फल भी होते हैं, लेकिन उनको रखने का सही साधन सरकार के पास नहीं होता, जिसके कारण 30 परसेंट अनाज, सब्जियां, फसल, नष्ट हो जाते हैं, तो आवश्यकता के हिसाब से warehouses या जो भी प्रबंध आपके पास है, उसकी व्यवस्था देश में सुनिश्चित हो। हमारे देश में कोई व्यक्ति भूखा न मरे। बड़ी अजीब विडम्बना है कि परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने देश का संविधान लिखा और संविधान में इस बात की व्यवस्था की गई थी कि भूख के कारण भारतवर्ष में कोई व्यक्ति नहीं मरना चाहिए, लेकिन हर साल 8,000 लोग भूखे मरते हैं। कम से कम हमारे देश में ऐसी स्थिति किसी व्यक्ति के सामने पैदा न हो कि उसे भूख के कारण अपनी जान देनी पड़े, इसका प्रबंध भी सरकार को ज़रूर करना चाहिए। सबसे बड़ी मुश्किल जो आती है, वह वितरण प्रणाली में आती है। महोदय, देश के अंदर तमाम कानून हैं, तमाम सुविधाएं हैं, लेकिन ग्रामीण अंचल में या शहरी अंचल में जो डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम है, जब तक उसको ठीक करने की ओर हमारी सरकार का ध्यान नहीं होगा, तब तक लोगों को कानून का लाभ नहीं मिल पाएगा, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से इस बात का भी अनुरोध करूंगा कि वे डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम पर भी कुछ न कुछ ज़रूर ध्यान देने की कोशिश करें। ...(समय की घंटी)...

महोदय, पीपीपी मॉडल को पिछली सरकार लाई थी। कुछ पैसे वालों ने सरकार की सब्सिडी का इस्तेमाल करते हुए warehouses बनाए हैं, उसका लाभ उनको मिल रहा है, लेकिन मैं नहीं समझता कि व्यापक स्तर पर उसका कोई बहुत बड़ा लाभ देश को मिलेगा। जब सरकार के पास फंड है, सरकार के पास पैसा है और महोदय, यह निगम ऐसा निगम है, यह विभाग ऐसा विभाग है, जो कभी घाटे में नहीं रहा, तो सरकार को अपना बजट बढ़ा कर सरकार के warehouses बढ़ाने चाहिए ताकि देश का अनाज और किसान की सुरक्षा हो सके। महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

358 *Government* [RAJYA SABHA]

SHRI T.K. RANGARAJAN (Tamil Nadu): Sir, thank you for giving me an opportunity to speak on the Warehousing Corporation (Amendment) Bill. I am really surprised to note what our hon. Minister, Shri Ram Vilas Paswan, has stated on the Statement of Objects and Reasons. He says, "One of the essential criteria for award of Mini-Ratna status to a Central Public Sector Enterprise is that no financial support or contingent liability on the part of the Government should be involved in respect of that enterprise and that it should also not depend upon any budgetary support or Government guarantee." Then, in para 2, he says, "Section 5 of the said Act is proposed to be suitably amended with consequential amendments in Sections 27, 30, 31 and 39 thereof. The guarantee referred to in the said sub-section (1) of Section 5 would be withdrawn and the Central Government would be absolved of its responsibility of being guarantor." So, this is the way how this Government's policy is going to be implemented, not only in Mini-Navaratnas but also in Navaratna industries. The Government is slowly going to leave the responsibility to the market. This is going to affect the entire working class, poor people and farmers of this country. I join the other speakers who also demanded that the Government should revisit their policy. We mostly depend upon the Minister. He knows about the poor. Sir, the 1962 Act was enacted to protect our farmers and also strengthen the Public Distribution System. All those objectives will be done away with the amendments, if passed. Sir, Tamil Nadu and Kerala are the States in India, which are still having some PDS. As compared to other States, PDS is there in Tamil Nadu.

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN (Tamil Nadu): It is functioning very well.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY): Please continue.

SHRI T. K. RANGARAJAN: It is functioning very well. Kerala is functioning extremely well. The point is, instead of taking that benefit to entire India, what are you doing? Please consider this. Why is the Government shirking away from the responsibility? Whom is the Government committed to? It is the people of this country whom the Government is committed to. It is not the looters whom the Government is committed to. So, what will happen if you do this? I would like to tell the Government, Sir, about the effect to absolve the Government responsibility as a guarantor. What does it mean? It means CWC has a lot of landed property which is called real estate. So the big businessmen are interested in landed property. The CWC has land all over the country. So, immediately those people will come and try to take those lands if you withdraw your guarantee. Trust of depositors will be vanished. People are prepared to put in more money on post offices. Now if you withdraw your guarantee, their trust will be completely shaken, vanished. Storage space will not be sold, which is the only one way of earning

[28 April, 2015]

CWC. Trust of depositors is vanished. Storage space has decreased. Private hoarders have taken it and on the part of the employees if the storage space is not sold, then there will be no work and the employees will be transferred to various parts of India. So it affects the farmers. It affects the PDS beneficiaries. It affects the employees. It affects overall. It gives to a handful of looters only. I request the Minister to revisit all these things. Of course, UPA brought this thing. It was discussed. After that discussion also, when you bring this, you have not changed anything. The same words, the same things have come. Only the Minister's name is changed. Instead of Thomas, it is now Paswan. So this is the danger. When the Forest Act was brought, this Government has brought the Mines and Minerals Act. That has taken away the rights of tribes. So, the danger is, the people who live in forests are going to be the sufferers, and if you implement this Bill, the food security will go away. Sir, if you implement the Land Acquisition Bill, the farmers will become destitute. Hence, I request the Government to please consider this. Please don't leave your hold as a guarantor. Please hold that guarantor with you. This is my request. With my request, I suggest to the Government to revisit all those things. I request the Minister to reply to it, how PDS will not get affected, how the farmers will not get affected, how the employees will not get affected, how the depositors will not be affected. You give a proper answer. The country needs this answer. Thank you very much. I hope you will give the answer.

SHRI BAISHNAB PARIDA (Odisha): Sir, I thank you for giving me this opportunity to express my views. Sir, it is a short but very important amendment to the 1962 Act. This amendment is intended to give the Central Warehousing Corporation more financial powers and independently manage its affairs. This Government is the sole guarantor for this Corporation. But, now, through the proposed amendment, this guarantee will be removed. The hon. Minister hopes, after this amendment, CWC will be an independent and more efficient organisation. The present Corporation has 11.30 million ton of storage capacity. It is profit-making organisation. It is paying 41 per cent dividend to the Government. There are 500 warehousing corporations. But, only 80 per cent capacity of those warehousing corporations is being utilized. In this country, the plight of farmers is connected with the shortage of warehouses. When 30 per cent capacity of these 500 warehouses are being utilized; what about the 20 per cent capacity which is not being utilized.

As my comrade has mentioned before me that PDS is entirely dependent on the warehousing system. If we remove the State guarantee and give full independence to the

[RAJYA SABHA]

[Shri Baishnab Parida]

management of CWC itself, will the PDS survive at a time when it is running properly only in 3-4 States. So, we all know that food security is totally dependent on the PDS. We have to think about it.

Secondly, along with the CWC, there are State Warehousing Corporations. I was, for sometime, Director of the CWC Board of Management. I have marked that many State Governments do not get enough loan or assistance from the Central Government or the CWC to build additional storage capacity in their States. You have only a limited number of warehouses in different States particularly in the Eastern India where the number of warehouses is very limited. So, unless you help the State Governments to build additional State warehouses, the storage capacity cannot be increased.

Another thing is, the present warehousing system is, as per the reports appeared in the media, suffering from serious corruption and mismanagement...(*Time-bell rings*).... You know that there is a large quantity of foodgrains damaged outside storehouses. But, inside storehouses, vegetable and other foodgrains are also damaged, because they are not properly maintained and rainwater flows into warehouses. So, I request the hon. Minister to look into this. Sir, there is another apprehension about the private capitals entry into CWC. Is it a way for privatization of the warehouses? I am warning the Government that once private parties are allowed into the Central warehousing system, it would damage the interests of the farmers. It must be taken care.

Sir, with these words, I thank you.

SHRIMATI GUNDU SUDHARANI (Telangana): Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on this Bill. At the outset, I congratulate the hon. Minister for getting Mini-Ratna status which, as per the guidelines, cease to get any financial assistance from the Union Government. I am perplexed whether to feel happy that the Central Warehousing Corporation got the Mini-Ratna status or should feel sad that henceforth it will not get any financial support, there will not be any contingent liability on Government with respect to Warehousing Corporation and GOI absolves its responsibility of being the guarantor.

There is no doubt that the performance of CWC has been quite good. It is clear if you look at its performance over the decades that as it increased its capacity to 77 lakh tonnes, the turnover was ₹ 1,500 crore and the dividend given in 2013-14 was 48 per cent. But it all happened when FCI has been procuring foodgrains from farmers and storing them in Central Warehousing godowns. But, now, the situation is different. The

[28 April, 2015]

Government of India has issued a notification that FCI would not procure foodgrains. So, obviously, it will not store in warehousing godowns. If that is the case, what would be the fate and role of CWC? So, I feel that Government should make an exception in guidelines and continue to provide financial support even though CWC has not taken any financial help from Government of India and did not ask for guarantee since 2003, and keep the contingent liability with it.

Taking advantage of this, I only wish to place before the Government that FCI, under PEG Scheme, has approved construction of 4.5 lakh tonnes capacity of godowns in our State way back in 2008 and made APSWHC as the nodal agency to oversee the implementation of the scheme. Under the scheme, private entrepreneurs have been allocated to construct 3.66 lakh tonnes capacity; 30,000 tonnes capacity has been given to the CWC and the APSWHC has been given the remaining 55,000 tonnes capacity. But, the State agency has taken three years to complete the tendering process. And, secondly, since 2011 to 2013, we have been able to add the capacity of just 1.64 lakh tonnes! Even the APSWHC which is supposed to construct 55,000 tonnes capacity, it has been able to complete only 35,800 tonnes capacity in 5 years.

Secondly, recently it has come to light that due to problems in acquisition of land in Prakasam and Nellore districts in Andhra Pradesh, to construct godowns of the capacity of 20,000 tonnes, APSWHC has recently decided to construct 5,000 tonnes' capacity at Huzurabad; 6,000 tonnes' capacity in Jagityal; and, 10,000 tonnes capacity in Sarangpur in Nizamabad districts in Telangana region. So, the Ministry should help in quickening the construction so that we get storage capacity which helps in saving grains from vagaries of nature.

So, I once again request the Government of India to continue procurement from farmers through FCI and only then will the CWC become relevant in the years to come. The CWC should also work for farmers' protection and food security. With these observations, Sir, I welcome and support this Bill. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY): Shri Anil Desai.

SHRI ANIL DESAI (Maharashtra): Sir, I rise to support the Warehousing Corporations (Amendment) Bill, 2015. The Bill intends to amend certain provisions of the principal Act of 1962. The main objective of the Bill is to absolve the Government of its responsibilities as a guarantor of the Central Warehousing Corporation as the CWC is managing its financial affairs on its own. It is good to note that the corporation is a profit-making body which has neither taken any loan from the Government in the past nor was it dependent on the Government budgetary support.

[RAJYA SABHA]

[Shri Anil Desai]

According to the Statement of Objects and Reasons of the Bill, the Government has not given any guarantee except the payment of minimum guaranteed dividend as required under some provisions of the Act. The Bill seeks to withdraw the guarantee of the Government. Since the CWC is a public enterprise and it has been awarded Mini-Ratna status, we all know that it doesn't get financial support or the Government's guarantees as per the provisions. The purpose of this corporation is to protect, save and safeguard agricultural produce and certain other essential commodities.

If we see the CWC history, it has been contributing dividend to the Government of India since 1957-58 consistently. Since 2003 onwards, the net worth of the corporation has been positive.

Now, I come to the clauses of the Bill. Clause 2 of the Bill seeks to replace Section 5 of the principal Act of 1962 to do away with the existing provision relating to the share of the CWC being guaranteed by the Central Government with regard to the repayment of the principal and payment of annual dividend.

One good feature of the Bill is that the new section does not envisage any expenditure from the Consolidated Fund of India, either recurring or non-recurring. The amendment to Section 27 of the Act seeks to remove guarantee provided by the Central Government to the bonds and debentures of the CWC. Similarly, amendment to Section 39 of the Act seeks to remove certain exemptions under the Income Tax Act available to CWC.

It is good to note that the CWC has paid dividend to the Government since 1957-58. During 2013-14, the CWC earned a profit before tax of ₹ 256 crore on a turnover of ₹ 1,528 crore. But the Government must take into account that a few millions in the country go hungry, and poor farmers are committing suicides due to mounting debts, due to crop failure, due to unseasonal rains, hail and storms. We are losing foodgrains due to inadequate storage capacity. Our FCI and State agencies have limited storage capacity of 711.16 lakh tonnes for foodgrains against 355.69 lakh tonnes. This was stated by the Minister himself in the other House in reply to a question on 24th February, 2015. We should increase the storage capacity which is the need of the hour. At the same time, existing storage warehouses of FCI are bad in condition. Most of the FCI warehouses in Maharashtra are infested by pests and because of them the quality of the grains get spoiled and that too amounts to a huge waste which should be looked into. Therefore, along with building new warehouses or storage capacity, we should see scientific maintenance of the existing storehouses or storages and warehouses should be given importance. There is need a to cut down the wastage of foodgrains, fruits and vegetables, particularly, in Maharashtra because a lot of wastage is going on in our State.

With these words, I once again support the Bill on behalf of my party Shiv Sena and on my own behalf.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY): Shri Ananda Bhaskar Rapolu.

श्री आनंद भारकर रापोलू (तेलंगाना) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री, श्री रामविलास पासवान जी वर्तमान क्रांतिकारियों में एक महान स्थान ग्रहण करने वाले हैं, मगर वे एक ऐसी सरकार में हैं, जो सरकार जिसकी तरफ देखती है, जिसके ऊपर हाथ लगाती है, उसकी तरफ पूरा भारतवर्ष ही नहीं, पूरा विश्व ही आशंका से देख रहा है। इसलिए आपकी आज की प्रक्रिया देखकर हमें इतना अनुमान व्याप्त कर रहा है कि, is there any ulterior motive to push which is not at all necessary? Pandit Jawaharlal Nehru, in 1957, established the Central Warehousing Corporation, and that Central Warehousing Corporation was never dependent on the Union Government. In turn, it has given fruits, it has given riches, and it has given resources. It is the strength of the nation. The capacity of storage indicates the level of confidence of individual, family and the State. In India, the worth of the warehousing industry, at the moment, is \gtrless 4,34,000 crores, and it is annually growing at 10 per cent. During our UPA regime, we ensured to evolve an authority, namely, the Warehousing Development and Regulatory Authority in 2007 to streamline, to ensure the scientific expansion of warehousing in the country. The industrial and the retail requirement of the warehousing is at 55 per cent, wherein agricultural warehousing is just 15 per cent. But agricultural and foodgrains and FMCG, those who are in need of cold storage, is of 16 per cent. It is not unknown to you that the scarcity of the storage, in particular the foodgrains and perishable vegetables and fruits and the horticulture, including flowers and other tissue culture, is giving us a loss of $\overline{\mathbf{x}}$ 55 crores per annum. It is rapidly expanding because of expansion of horticulture and the cultivation of vegetables and fruits. At the present estimate building a nominal 15,000 square feet warehousing capacity is costing us ₹ 15 crores.

Sir, the UPA had evolved the Jatiya Gramin Bhandaran Yojana. We are also having the Food Corporation of India. We are also having in all the States the State Warehousing Corporations. Even then, we are facing this scarcity. We are also having the record before us that in 2010 and 2011, the industrial output has surpassed the growth levels of the services. This establishes the need of the scientific warehousing. The Central Warehousing Corporation has built the globally-appreciated scientific warehousing units,

[RAJYA SABHA]

[श्री आनंद भास्कर रापोलू]

silos, which have brought us very good image and dividend. There is every necessity to have the investment to the tune of ₹ 45,00,000 crores by 2017 to attain the food retail sector business to ₹ 3,10,000 crores by 2025. If you make ready the storage capacity, our confidence will rise. We were regularly having International Warehousing Corporation Exhibitions. I am not mentioning the situation of our regime, the UPA Government, but the intermittent season of 2014. The international exhibition of warehousing in India had attracted above 8,000 visitors from 31 countries and showed us 210 solutions for the scientific space utilisation. The CAPART, a department under the Ministry of Rural Development, and the IIT, Delhi, have developed a model of low-cost warehousing. The warehousing capacity has to be increased across the rural India. (Time-bell rings) Only then will we be able to ensure the growing power of the rural population and their purchasing capacity. Though this piece of legislation is not going to harm the Central Warehousing Corporation, yet doubts are looming large that your intention may be ulterior to grab the strength, stamina and marrow of the Central Warehousing Corporation. And, for that, it is very necessary to ensure that that will not be utilized for wrong purposes, and would be utilized only for the purposes of the warehousing only. The Agricultural Marketing Committees and the Self-Help Groups have developed their small godowns all across the nation.

(MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.)

Please ensure to have Jatiya Gramin Bhandaran Yojana and try to utilize that plan to establish, at least, reasonably suitable godown at each and every block or mandal level. *(Time-bell rings)*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You please conclude now. ...(*Interruptions*).. You have already taken three minutes. ...(*Interruptions*)...

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU: I am just concluding, Sir. Since you are now in the Chair, you should also hear me for a minute.

For this, let us utilize the digital India. What the UPA has given is a platform; what the UPA has given is the hardware; what the UPA has given is a scientific innovation. The available information technology should be utilized in the Warehousing Corporation for stock visibility and stock traceability. *(Time-bell rings)*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, please conclude. ...(Interruptions)... Mr. Rapolu, please conclude. ...(Interruptions)...

5.00 р.м.

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU: I advise the Union Government to initiate the rural-level godown structures and also encourage the individual farmers to have their self-storage capacities and try to enhance the cold chains on the lines the UPA had ensured to have a great corridor, that is, the Delhi-Mumbai Corridor. It is having great infrastructure facilities, including that of warehousing. We had also thought of free Trade Warehousing Zones on the lines of the Special Economic Zones. Try to utilize the models and the facilities that are available. Also, try to encourage the Government establishments to utilize the spaces of the Warehousing Corporation, besides utilizing the Rural Agricultural Marketing Committees to expand the godown and warehousing facilities.

Thank you very much, Sir.

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Sir, I want to confine myself within the scope of the Bill. The Warehousing Corporation, which is functioning under the Department of Food and Public Distribution, has been awarded the status of Mini Ratna by the Department of Public Enterprises. The Bill says that one of the criteria of awarding the Mini Ratna status is that that public sector enterprise does not expect any financial support or contingent liability from the Government. Apart from that, there are some other criteria. For example, earlier, the Maha Ratna criteria was that the profit should be $\overline{\xi}$ 5,000 crores. Now, it has come down to $\overline{\xi}$ 2,500/- And, for Mini Ratna, there are many criteria, like, net profit, net worth, manpower cost, etc., etc. For Mini Ratna, there are two categories -- Mini Ratna category-I and Mini Ratna category-II. For the Mini Ratna category-I, the net profit must be $\overline{\xi}$ 30 crores for three years continuously, or, more in one year.

And the second category is that the net worth must be more. I just want to know from the Minister in which category the Warehousing Corporation has been placed – Mini Ratna Category I or Category II. Apart from that, Sir, what I would like to know is – I am very much worried; I have a concern – why this Bill is brought for a small piece of legislation. Why is the Government wanted it so urgently? Sir, the Bill again says, "The Mini Ratna status to a public sector enterprise is that no financial support or contingent liability on the part of the Government ... and that it should also not depend upon any budgetary support or Government guarantee." Now, again the Bill says very clearly – that's my clear query that I want to know from the Minister – that the Government has so far given no other guarantee to the Corporation except for the payment of minimum guaranteed dividend as required under sub-section (1) of Section 5 of the Warehousing

[RAJYA SABHA]

[Shri Tiruchi Siva]

Corporation Act. Now, what does the Bill envisage, Sir? It is totally removing this clause. The guarantee referred to in the said sub-section (1) of Section 5 would be withdrawn and the Central Government would be absolved of its responsibility of being a guarantor. Sir, the Government has given no other guarantee except for the payment of minimum guaranteed dividend as required under sub-section (1) of Section 5. So, this Government has already given some minimum guarantee and that is being withdrawn. Sir, I am doubtful. I concur with many of my colleagues, including Mr. Bhaskar, Mr. T.K. Rangarajan and many others. Even Mr. Parida spoke very well. Sir, our concern is that there are many ways through which this Government is attempting to weaken the public sector enterprises. Sir, earlier the Government was getting ₹ 35,000 crores by way of disinvesting the shares of the public sectors. This year, they are expecting ₹ 69,000 crores. Sir, we have been repeatedly telling in this House on many other opportunities whenever it has arisen that the public sector enterprises are the temples of our economy. As the Parliament is the temple of democracy, the PSUs are the temples of our economy. But why is this Government after that? What are they going to achieve by way of this ₹ 69,000 crores? By way of disinvesting, they are not going to meet the needs. Rather it is not a sustainable income also. Once it is sold out, they won't be able to meet, even the interest they have to pay on the loans. I think, a Minister like Mr. Ramvilas Paswan, who has always been an advocate for public sector enterprises and the working classes, should take into consideration that public sector enterprises have helped this country to withstand the recession period. So, kindly don't forget that. When the European countries were suffering because of the economic recession, India withstood that only because of the public sector enterprises and the agricultural sector whereas this Government is ignoring both. The Budget has not allocated enough for the agricultural sector, so also there is weakening of the public sector enterprises. This is going on. Sir, the Government need not give a guarantee to a public sector enterprise if it comes in the form of a Bill to become an Act. There are ever so many issues for the Government to legislate whereas it is just weakening a public sector enterprise by way of citing only one criteria that the Government need not give any guarantee. Sir, this means an increase in the investors' share. Already the investors' shares have increased. Earlier, it was 10 per cent and it is now going to be 25 per cent. So, the strength of the public sector enterprises is weakened by way of disinvesting to the investors. A Committee which has examined the proposal of this Government has said that 'The Committee has concurred with the amendment to withdraw the financial support and guarantee to the CWC by the Central Government. In the light of the same, the Committee recommended that the CWC examines buying back investors' shares so that they are given an opportunity to redeem their investment in the

Corporation.' So, Sir, this way of increasing the investors' shares and the Government withdrawing the guarantee, will weaken it. In future, for some reason or other, by way of drought, by way of flood, for any other reason, if the Warehousing Corporation suffers a loss and if it needs a guarantee, if the Government is out of it, there will be a compulsion that such public sector enterprises will have to go into the hands of the private sector. That is a very, very dangerous signal that has arisen now. So, I request the Minister. Your intention may be right. But this piece of legislation doesn't strengthen your Warehousing Corporation. It takes away the guarantee that the Government may, at some time, come to the aid of public sector enterprises, like the Warehousing Corporation. I don't wish to go into details like how the Warehousing Corporation functions, what are the things that need to be done, and so on. All that does not fall within the purview of this Bill. But it weakens the Warehousing Corporation Act. It prevents the Government from helping the CWC in the future, if a situation so arises.

Hence, I would like to request the hon. Minister by saying, when you have moved the Bill and you are about to pass and legislate it, kindly take into consideration the fact that such public sector enterprises as the Warehousing Corporation should not be weakened at any cost. And, if such a situation arises, the Government should come to its rescue. That is the responsibility of the Minister and the Government. Thank you very much.

SHRI PANKAJ BORA (Assam): Sir, the Warehousing Corporations (Amendment) Bill, 2015, moved by the hon. Minister, Shri Ramvilas Paswan, apparently seems to be one for the farmers. But, Sir, I have to say it with a heavy heart that actually the Bill is not for the farmers as such. We have deliberated upon the crisis faced by the farmers of India, the number of farmer suicides, and all that. There is distress, because there are no banking facilities for the farmers, there are perishable items of food which cannot be properly stored and there is no proper distribution system. Now, the Government proposes to withdraw the guarantee extended to the Central Warehousing Corporation. The Government has not given anything to the CWC. The CWC is a Mini Ratna corporation. It can cater to itself; it can look after itself. However, we have a welfare Government. The Government must oversee its functions properly and see to it that the storage facilities are increased. Now, we have got about 6,488 cold storages in the country with a storage capacity of about 40 lakh tons. But the storage capacity available is 108 million metric tons and the total warehousing gap is to the tune of 350 lakh tons. Still we have problems of storage. Now, the CWC has 464 warehouses and they have a storage capacity of 10.8 million tons. It stores a wide range of products, giving solace to

[RAJYA SABHA]

[Shri Pankaj Bora]

the farmers. But now, when you say you are going to withdraw Government guarantee -- you have not given anything to the CWC even otherwise -- it sends a wrong message to the stakeholders. It would send a wrong message to all the farmers that the Government has washed its hands off the Central Warehousing Corporation and they have been left in the lurch. That is the problem we face. As we all know, the main aim of the Warehousing Corporations Act is to strengthen rural credit and marketing. Rural credit and marketing is very, very important. Our farmers are suffering today because there are no proper marketing facilities, the godowns are not very clean and foodgrains get perished. Even though India is a country where not everybody gets food every day, a lot of foodgrains get wasted because of poor storing facilities and also because the storage and carrying capacity is less.

My request to the hon. Minister, through you, Sir, is that you should not have a blanket withdrawal of Government supervision, even to the CWC, so that they do not face all these problems. Now, the Warehousing Development Regulatory Authority has been made. Once they are registered under this Authority, it would become easier for farmers to get bank loans. Today farmers are suffering because they don't get bank loans easily, because of lack of finance, because of lack of irrigation and now, with this Bill you are going to withdraw Government supervision of warehousing altogether. Warehousing would suffer a lot. So, we should have a look into a whole lot of things. I know the Minister. He is for the poor. He always speaks for the poor and the Government also, like us, thinks about the poor. But is it the way to think about the poor? Now, I have a doubt in my mind whether it is going towards privatization. That is the most problematic aspect that has plagued my mind that it might go for privatization. Please don't do this. Your farmers will feel it; our farmers will feel it. Still there are so many farmers waiting to get some solace from somewhere. Every time we see that food in FCI godowns are rotting, people are not getting their proper dues and everything. So, my request to you is to increase the food storage capacity, infrastructure and proper monitoring of distribution chain. Wastage of foodgrains has been seen because grains are being left in the open in some silos which are not properly and scientifically treated. So, it should be stopped. But instead of doing that, now, Mr. Minister, if you are going to withdraw the Government's hand over the CWC, it sends a wrong message. Once again, I am repeating it, it sends a wrong message and it gives a desolate feeling to the farmers. So, I do hope that even if you pass this Bill, still I request you to keep it in mind that actually the farmers should be benefited and the Government should not wash of its hands totally from the CWC. Thank you.

Bills

[28 April, 2015]

श्री रामविलास पासवानः उपसभापति जी, इस विधेयक के संबंध में हरेक दल के बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। श्री पी0एल0 पुनिया ने शुरुआत की और बसावाराज पाटिल जी, मुनव्वर सलीम जी, के0सी0 त्यागी जी, अहमद हसन जी, श्रीमती विजिला सत्यानंत जी, नरेन्द्र कुमार कश्यप जी, टी0के0 रंगराजन जी, बैष्णव परिडा जी, गुन्डु सुधारानी जी, अनिल देसाई, आनंद भास्कर रापोलू जी, तिरुची शिवा जी और पंकज बोरा जी, आप सभी ने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। महोदय, सभी ने यह मांग की है कि इस संशोधन के साथ-साथ और भी संशोधन लाने चाहिए।

महोदय, मैं सब से पहली बात यह कहना चाहूंगा कि इस बिल का बहुत ही limited purpose है और यूपीए-2 की सरकार के समय में यह किसी कारण पास नहीं हो सका, इसलिए इसे लाना पड़ा है। महोदय, सीधी सी बात है कि जब आपने इसे मिनी रत्न का दर्जा दे दिया है, Schedule-I दे दिया है, तो उसके तहत इसे अधिकार दीजिए और उस अधिकार के तहत 5.1 में संशोधन करना है, जिससे कि इसे जो सपोर्ट मिलता है, हालांकि इन्होंने कभी सपोर्ट लिया नहीं है, उससे इसे मुक्ति मिल जाए। इस का बस इतना ही परपज है। मैं समझता हूं कि जब यह मामला स्टेंडिंग कमेटी में गया होगा और जब यूपीए 2 की कैबिनेट ने इसे पास किया होगा, तो आपके मन में व्याप्त सारी शंकाओं पर जरूर गौर किया गया होगा कि इस से किसान का कितना अहित होगा या कहीं हम इसे प्राइवेट लोगों के हाथों में तो देने नहीं जा रहे हैं और आप सभी जानते हैं कि स्टेंडिंग कमेटी में तो बहुत critical तरीके से विचार-विमर्श होता है।

महोदय, इस के संबंध में सब से पहली बात तो यह है कि इन का शेयर 55 परसेंट है यानी 55 परसेंट गवर्नमेंट शेयर है। इसलिए इस बारे में जरा सी भी शंका करने की जरूरत नहीं है कि हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। आप इसे दिमाग से निकाल दीजिए। यह कोई प्राइवेटाइजेशन का मामला नहीं है। हम चाहते हैं इस में कैसे बेहतरीन तरीके से काम कर सकें और इसे पूरी पावर दे सकें। महोदय, यह सरकारी कंपनी है और अगर सरकारी कंपनी को पूरी पावर नहीं मिलेगी, तो वह काम कैसे करेगी? इस कारण से इन्हें 500 करोड़ रुपए तक इनवैस्ट करने या खर्च करने की पावर मिल जाएगी। महोदय, इसलिए यह कंपलसरी है कि जब इसे मिनी रत्न कंपनी का दर्जा मिल गया, तो उसके मुताबिक इसको शक्तियां दी जानी चाहिए।

महोदय, हमारे काफी सदस्यों ने बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव दिए हैं। श्री पी.एल. पुनिया साहब ने कहा कि इसका यूटिलाइजेशन कैपेसिटी का 86 परसेंट होता है। स्वाभाविक है कि कभी-कभी अनाज सरप्लस हो जाता है, तो ऐसा होता है। अभी भी हमारे पास बहुत अनाज सरप्लस है और जब गोदाम में अनाज ज्यादा होता है, तो ऐसा होता है। अभी भी हमारे पास बहुत अनाज सरप्लस है और जब गोदाम में अनाज ज्यादा होता है, तो उसके खराब होने की संभावनाएं भी ज्यादा रहती हैं। हम मानते हैं कि जैसे 600 लाख टन की हमारी आवश्यकता है और हमारे गोदाम की कैपेसिटी 751 लाख टन की है, जिसमें 50 प्रतिशत स्टेट की है और 50 प्रतिशत एफ.सी.आई. की है। इसलिए जितने गोडाउन हैं और जितनी उनकी क्षमता है, ...(व्यवधान)... हां, आपने ठीक कहा, उपज बहुत होती है। इस बार उपज 2,000 लाख टन हुई है, लेकिन जो खरीद होती है, जितने किसान बेचते हैं, वह खरीद तो कम ही होती है। इसलिए यूटिलाइजेशन कैपेसिटी चेंज होती रहती है। बीच में यूटिलाइजेशन कैपेसिटी 93 प्रतिशत तक चली गई थी। इसलिए अभी हम लोगों ने एक करोड़ टन गेहूं और फिर 50 लाख टन चावल खुले [RAJYA SABHA]

[श्री रामविलास पासवान]

मार्केट में निकाले हैं। इस कारण इनमें उतार-चढ़ाव होता रहता है, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है और जिससे मैं सहमत हूं यानी इसके आधुनिकीकरण और मॉडर्नाइजेशन का जहां तक सवाल है, यह हमारे लिए भी चिन्ता का विषय है। हम इसे लेकर स्वयं चिन्तित हैं कि हमारे जो 471 गोदाम हैं, उनमें हमें भी जानकारी मिली है और हमने कई जगह देखा है कि अधिकांश गोदामों की हालत बहुत ही खराब है।

महोदय, अभी हमारे साथी कह रहे थे कि पेंटिंग तक नहीं हुई है। यह छत का मामला है। ये सारी की सारी बातें मेरी नॉलेज में हैं और इसे हम कंसल्टेटिव कमेटी की बैठक में अगली बार अलग से रखने जा रहे हैं। हालांकि बहुत लोग समझते हैं कि यह छोटा सा सब्जैक्ट है, लेकिन जैसा श्री के.सी. त्यागी जी और अन्य माननीय सदस्यों ने कहा कि प्राइम लैंड है। अभी 471 गोदामों में जीर्णोद्धार का काम चल रहा है। यह काम हम लोगों ने शुरू कराया है। वह हमने 70 गोदामों में कराया है। 45 गोदामों का आधुनिकीकरण हुआ है। इसे हमने टाइम-बाउंड कर दिया है और हमने कहा है कि इसे दो साल में पूरा होना चाहिए। महोदय, जब हम पब्लिक अंडरटेकिंग्स को देखते हैं और हम लोग शुरू से सोशलिस्ट मूवमेंट में रहे हैं, जो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट मूवमेंट में रहे हैं, तो उनका तो कभी प्राइवेटाइजेशन की तरफ ध्यान ही नहीं जाता है, लेकिन कभी-कभी हमें इस बात को सोचकर भी आश्चर्य लगता है कि हमारे पास जितनी प्रॉपर्टी है, CWC के पास जितनी प्रॉपर्टी है, जितनी जमीन है, यदि हम उसे बैंक में रख दें, तो कितना पैसा मिलेगा। हमें यह कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि हमारे पास जितनी जमीन है, यदि उसे बैंक में रख दिया जाए, तो उसके सूद से ही हमारा मुनाफा दुगना होना शुरू हो जाएगा। अब उसे हम कैसे ठीक करें, यह हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है।

महोदय, आपको मालूम है, मैं जब संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का मंत्री था, शुरू में जब मैंने चार्ज संभाला था, उस समय जो हालत थी, वह बिलकुल ही खराब थी। टी.ए.सी. का मैम्बर बनने के लिए एम.पी. पैरवी करते थे कि हमारे लोगों को टी.ए.सी. का मैम्बर बना दीजिए। उस समय कोई मोबाइल नहीं था। मोबाइल का एक कॉल 16 रुपए प्रति मिनट होता था और सुनने वाले को भी 16 रुपए लगते थे। जब मैं मिनिस्टर बना, तो मैंने कहा कि यह कैसे हो रहा है कि सुनने वाले को भी 16 रुपए प्रति मिनट देने पड़ते हैं? यदि हमने कॉल किया है, तो एक बार यह बात समझ में आती है कि चलो हमें पैसा लग सकता है, लेकिन सुनने वाले ने क्या बिगाड़ा है कि उसे भी 16 रुपए प्रति मिनट लगेंगे? जब मैं एक बार मेरठ गया था, तो वहां से मैंने यह काम शुरू किया था और शुरू करने के बाद मैंने संकल्प लिया और मैं WLL लाया था। उसका काफी विरोध भी हुआ था। आप यहां हैं, श्री गुलाम नबी आज़ाद जी है, उस साइड से काफी विरोध हुआ था, लेकिन मैंने कहा था कि यह पुअर मैन्स मोबाइल है और मैंने उसी समय कहा था कि मैं इसे बैंगन के भाव बेचूंगा। इसे इफैक्टिव करने के लिए, हालांकि उस समय गुप्ता जी थे, जो एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, उन्होंने इसका विरोध किया। हमने कहा देखिए, जो काम चल रहा है टेलिकॉम डिपार्टमेंट का, इसमें कोई भविष्य नहीं है। यदि इसको करना है तो प्राइवेट पार्टी से कंपीटीशन करना है। अगर कंपीटीशन करना है, तो आप हमें बताइए कि आप क्या चाहते हैं?

Bills

[28 April, 2015]

जितनी भी आपको मज़दूरों के लिए पैसे की जरूरत है, जितना भी आपको employees के लिए.... जो टेलिफोन को ठीक करने के लिए जाते थे, उनको हमने उस समय पेजर मशीन दे दी थी, जो कि उस समय किसी के पास नहीं थी। भारत संचार निगम मेरे द्वारा बनाया हुआ है। हमने कहा, इसको बनाओ और जितनी आपको जरूरत हो, उन्होंने कहा कि हमारी ये-ये डिमांड्ज़ हैं। हमने कहा कि दो डिमांड्ज़ और भी जोड़ दीजिए। आज आप देख रहे हैं कि कर्मचारी भी खुश हैं और बीएसएनएल भी अपना काम सही ढंग से, कंपीटीटिव रूप में कर रहा है। इसलिए मैंने कहा कि इस बात को तो हम जरूर सोच रहे हैं कि इसको हम कैसे दुरुस्त करें। सीडब्ल्यूसी के जीर्णोद्धार का जो तरीका है, वह हमने कहा है, लेकिन इसके अलावा भी हम इसको देख रहे हैं। कुछ साथियों ने कहा कि फल वगैरह का बड़ा मामला है, तो इसमें फल और सब्जी वगैरह नहीं रखी जाती है। वह तो कोल्ड स्टोरेज का है, कृषि मंत्रालय का है, लेकिन इसमें भी रखी जा सकती है। तो उसके लिए क्या किया जाए, इस पर सोचना पड़ेगा। उसके लिए कोल्ड स्टोरेज की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसमें ये फल-सब्जी वगैरह जो हैं, ये नहीं रखे जाते हैं।

महोदय, इसके संबंध में तो इतना ही है, बाकी हमारे साथियों ने जनरल प्वाइंट्स उठाए हैं। हमारे बहुत से साथियों ने जन-वितरण प्रणाली के संबंध में कहा। हमारे एक साथी ने कहा कि केरल में बहुत अच्छा सिस्टम है, तमिलनाडु में बहुत अच्छा सिस्टम है। आप जानते हैं कि अभी दो तरह के राज्य हो गए हैं। एक राज्य वे हैं जहां फूड सिक्योरिटी ऐक्ट लागू हो गया है और फूड सिक्योरिटी ऐक्ट भी यूपीए सरकार की देन है। 2013 में जो फूड सिक्योरिटी ऐक्ट बना, उसमें दो तरह के राज्य आए। ग्यारह राज्यों ने कहा कि हम फूड सिक्योरिटी ऐक्ट लागू करते हैं, शेष राज्यों में अभी तक फूड सिक्योरिटी ऐक्ट लागू नहीं हुआ है। फूड सिक्योरिटी ऐक्ट के प्लस प्वाइंट्स भी हैं और माइनस प्वाइंटस भी हैं। जहां-जहां फुड सिक्योरिटी ऐक्ट नहीं है, वहां बीपीएल के एक परिवार को 35 किलो अनाज प्रति महीना मिलता है। यहां प्रति व्यक्ति पांच किलो अनाज मिलता है, तो यदि एक परिवार में 5 आदमी हैं, तो 25 किलो हुआ। चार आदमी हैं, तो 20 किलो हुआ और वहां मिलता था 35 किलो - तो यह माइनस प्वाइंट हुआ। लेकिन प्लस प्वाइंट क्या है? प्लस प्वाइंट है कि वहां बीपीएल का जो था, अंत्योदय को छोड़कर, तो बीपीएल को 4.15 रुपए गेहूं और 6 रुपए करीब चावल मिलता था, एपीएल को ८ रुपए, 10 रुपए मिलता था। अब यहां सबको २ रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल मिलेगा। एक जनरल एवरेज बना दिया गया है कि गांव में 75 लोगों को और शहर में 50 लोगों को, किसी राज्य में 80 है और किसी राज्य में 60 है, लेकिन एवरेज 67 है। अभी हमारे साथी कुछ बोल रहे थे, त्यागी जी या और कोई सदस्य शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट के संबंध में कह रहे थे कि उन्होंने जो रिपोर्ट दी है, उसको रिजेक्ट कर दीजिए। तो उसमें कुछेक रिकमंडेशन्स अच्छी हैं, कुछ खराब भी हैं, जैसे उन्होंने कहा है कि नहीं, 67 परसेंट नहीं होना चाहिए, 40 परसेंट होना चाहिए। हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, नहीं माना। उन्होंने कहा कि हरियाणा, पंजाब से एफसीआई को खरीद नहीं करनी चाहिए और बिहार, उत्तर प्रदेश में जाना चाहिए, तो हमने कहा कि बिहार, उत्तर प्रदेश में देखेंगे। चूंकि बिहार तो डीसीपी स्टेट है, वहां की सरकार कहेगी, तभी जाएंगे, लेकिन हरियाणा, पंजाब वगैरह में जैसे काम चल रहा है. वैसे ही चलेगा।

महोदय, जहां तक किसान का सवाल है, एक-एक दाना खरीदने के लिए हम कटिबद्ध हैं। जो

[RAJYA SABHA]

[श्री रामविलास पासवान]

हमारे सामने मानक वाला था, उसमें हमने रिलैक्सेशन दे दिया है। उस दिन जो वैल्यू कट की बात कह रहे थे कि इसको खत्म किया जाए, हालांकि यह वैल्यू कट शुरू से चलता आ रहा है कि दोनों में अंतर रखा जाए, लेकिन फिर भी सरकार गंभीरता से इस पर सोच रही है, इसलिए ये सारे सवाल हैं। जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है, वह कुल मिलाकर बहुत अच्छा है। जो करप्शन का मामला है, पीडीएस में इन्होंने जो करप्शन की बात कही है, पीडीएस का करप्शन दूर हो जाएगा, यदि फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू हो जाए। फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू करने से पहले चार चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक तो करना पड़ेगा - डिपो ऑनलाइन। दूसरा करना पड़ेगा - एंड टू एंड कप्यूटराइज़ेशन। अभी भारत सरकार अनाज भेजती है। जब हम अनाज भेजते हैं तो राज्य में अपने गोदाम में भेज देते हैं, एफसीआई के गोदाम में भेज देते हैं। एफसीआई के गोदाम से वह अनाज कहां जाता है, हमें पता नहीं होता, उसमें राज्य सरकार की पूरी जवाबदेही है। राज्य सरकार का काम है कि वहां से अनाज निकाले, कौन बेनिफिशरीज़ हैं, किसको कार्ड मिला है, किसके पास जाना चाहिए - यह सब राज्य सरकार के जिम्मे है।

श्री उपसभापति : मंत्री जी, एक और बिल है।

श्री रामविलास पासवान : सर, मैं खत्म कर रहा हूं। I will conclude, Sir, within five minutes. यह राज्य सरकार के पास जाता है। राज्य सरकार भी क्या करे? वह अनाज गोदाम से निकलता है और मार्किट में चला जाता है, ब्लैक मार्केटिंग में चला जाता है और जो गरीब है, उसको नहीं मिलता है। जब ये सारे के सारे सिस्टम कम्प्यूटराइज्ड हो जाएंगे तो आप कहीं भी बैठे हुए सब कुछ देख सकते हैं। पंजाब में आप वेबसाइट पर देख लीजिए, आपको सारा पता चल जाता है। आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए, आपको सारा का सारा मिल जाएगा। केरल में भी वह सिस्टम है लेकिन चूंकि केरल में लेबर वगैरह का मामला शुरू से रहा है इसलिए वह टेक्नोलॉजी उतनी ज्यादा डेवलप नहीं हुई है। इसी तरह से छत्तीसगढ नक्सलाइट एरिया है, लेकिन वह सबसे बढिया काम कर रहा है। इसलिए जहां तक करप्शन का मामला है, यदि फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू हो जाए तो उसके माध्यम से करप्शन काफी हद तक दूर हो सकता है। सोशल ऑब्लीगेशन के संबंध में हमारे साथियों ने कहा। यह भी कहा गया कि स्टोरेज कैपेसिटी बढानी चाहिए – जरूर बढानी चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि कहां-कहां स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा है और कहां-कहां नहीं है। किसान क्यों तबाह होता है क्योंकि उसका जो खरीद केन्द्र है. वह खरीद केन्द्र सब जगह है ही नहीं। एक व्यापारी किसान के पास उसके घर जाकर अनाज खरीदता है और हम उसे कहते हैं कि तुम अनाज लेकर 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर की दूरी पर आओ, तो वह कहां से आएगा? उसे वह वहां पर 1,000 रुपए में बेच देता है, जब कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस 1,450 रुपए है। किसान से बिचौलिया खरीदता है, बिचौलिए से सरकार खरीदती है. सरकार से हम खरीदते हैं और कह रहे हैं कि किसान बेच रहा है। किसान को पैसा नहीं मिल रहा है। हम लोगों ने तय किया था कि 31 जनवरी तक किसान से खरीद लेंगे, लेकिन 31 जनवरी खत्म हो गयी। धान की फसल 30 दिसम्बर तक हो जाती है, आज हम अप्रैल में हैं, लेकिन अभी भी बहुत सी जगह से कहा जा रहा है कि हमारे यहां किसान बेचना चाहता है। हम कहते हैं कि किसान कहां बेचना चाहता है? इसलिए ये सारी चीज़ें हैं। हम चाहते हैं कि कभी इस पर

Bills

बढ़िया तरीके से डिस्कशन हो। मैं माननीय सदस्यों को एक बात बतलाना चाहता हूं कि मैं स्वयं चाहता हूं कि जो भी आपका सुझाव हो, हमारी कंसल्टेटिव कमेटी के मेंबर्स को हम खुलेआम कहते हैं कि आप हमें लिखकर दीजिए। जो हमारा फूड डिपार्टमेंट है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है और यहां तक कि हमारे पास जो उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री है, वह बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है, उस पर भी हम चाहते हैं कि कभी-कभार चर्चा हो जाए कि कंज्यूमर्स के क्या राइट्स हैं, उनको क्या मिल रहा है, कैसे उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि इन सब चीज़ों पर चर्चा हो। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं और एक बात माननीय सदस्यों से कहना चाहते हैं कि आप इस बात को अपने मन में जरा सा भी न रखिए कि सीडब्ल्यूसी का कदम कहीं प्राइवेट की तरफ तो नहीं जा रहा। इस बात को आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। यह छोटा सा ऑब्लीगेशन था। उस ऑब्लीगेशन को लाने के लिए हम आपके पास आए हैं इसलिए इसको सर्वसम्मति से पास कीजिए और फिर इसमें कैसे सुधार हो, इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आप सभी सदस्यों को बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI TAPAN KUMAR SEN (West Bengal): Mr. Deputy Chairman, Sir, I want to seek just one clarification. We took with all seriousness the assurance given by the hon. Minister.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, it is a very clear assurance.

SHRI TAPAN KUMAR SEN: But the only thing is why are you going to withdraw the guarantee? Because the CWC's business is linked with this guarantee, the depositors are having a kind of trust on the CWC. If you want CWC to prosper – and I am sure your intention is like that. You are a pro-public sector man – why should you withdraw that? That is the crux of the Bill.

श्री रामविलास पासवानः सर, मैंने पहले ही कहा है कि जो लोक उद्यम विभाग है, जो भारत सरकार का डिपार्टमेंट है, उसकी अनिवार्यता है, उसके मुताबिक ही हम इस बिल को लाए हैं, या तो मिनी रत्न हटा दीजिए। ...(व्यवधान)...

श्री तपन कुमार सेनः मिनी रत्न में क्या है?

श्री उपसभापतिः ठीक है।

श्री रामविलास पासवानः इसमें दो ही तरीके हैं या तो मिनी रत्न ग्रेड वन, शैड्यूल वन जो मिला हुआ है और यह बहुत बड़ा ऑनर है, चूंकि यह कभी घाटे में नहीं रहा है। जब आप मिनी रत्न वन का रखेंगे, तो फिर आपको एक्ट में संशोधन करना पड़ेगा। यह मिनी रत्न वन है, इसीलिए इसको सरकार के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़े, यह 500 करोड़ रुपये तक मार्केट में खर्च कर सकता है, अपनी आर्गनाइजेशन को आगे बढ़ा सकता है। यह कम्पलसरी है, यह बाध्य है, इसीलिए हमें इसे लाए हैं। हम कोई नया थोड़े ही लाए हैं। यह इनका बच्चा है, हम उसे लाकर आपके सामने रख रहे हैं। ...(व्यवधान)... MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the question is:

That the Bill further to amend the Warehousing Corporations Act, 1962, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 6 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula, and the Title were added to the Bill.

श्री रामविलास पासवानः महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि बिल को पारित किया जाए।

The question was put and the motion was adopted.

The Regional Rural Banks (Amendment) Bill, 2014

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we will take up the Regional Rural Banks (Amendment) Bill, 2014.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JAYANT SINHA): Sir, I beg to move:

That the Bill further to amend the Regional Rural Banks Act, 1976, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

Sir, the Regional Rural Banks (Amendment) Bill, 2014, *inter alia* seeks to introduce reforms to strengthen the capital base and improve the overall capabilities of the fifty seven Regional Rural Banks. The Regional Rural Banks were established under the Regional Rural Banks Act, 1976 to create an alternative channel to the cooperative credit structure and to ensure sufficient institutional credit for the rural and agricultural sectors. RRBs are jointly owned by Government of India, the concerned State Government and sponsor banks and the issued capital of the RRBs is shared in proportion of 15 per cent and 35 per cent respectively. The RRBs are an integral part of our agricultural credit system and have over nineteen thousand branches, 1.6 lakh crores of gross loans, cover virtually every district and employ eighty thousand people. In view of the growing role